BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No. 487/2024

In the matter of:

Sandeep & Anr. **Applicant**

Versus

Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. **Respondents**

Index

Sr. No.	Particulars	Page No.
1.	**Inspection Report** in compliance to the Hon'ble NGT (PB) order dated 29.04.2024 in Original Application No. 487/2024 Sandeep & Anr. Versus Uttar Pradesh State Pollution Control Board & Ors.	
2.	**Annexure – I** A copy of Hon'ble NGT order dated 29.04.2024.	
3.	**Annexure – II** Photographs taken during inspection.	
4.	**Annexure – III** A copy of Google earth image of the alleged brick kiln.	
5.	**Annexure – IV** A copy of compliant forwarded to DM, Aligarh regarding illegal brick kiln.	
6.	**Annexure – V** A Copy of letter dated 31.03.2022 issued by UPPCB RO, Aligarh to UPPCB, HO, Lucknow regarding issuing closure order.	
7.	**Annexure – VI** A Copy of closure direction issued by UPPCB to M/s Shree Ram Ent Udhyog dated 04.04.2022	
8.	**Annexure – VII** A Copy of Closure direction enforced by the joint team.	
9.	**Annexure – VIII** A copy of inspection report of M/s Shree Ram Ent Udhyog.	
10.	**Annexure –IX** A Copy of letter dated 04.06.2024 issued by UPPCB RO, Aligarh to UPPCB, HO, Lucknow regarding for necessary action.	
11.	**Annexure – X** A copy of inspection report of M/s Shree Ram Ent Udhyog.	
12.	**Annexure – XI** A copy of 2nd inspection report of M/s Shree Ram Ent Udhyog dated 17.03.2023.	
13.	**Annexure – XII** A copy of 3rd inspection report of M/s Shree Ram Ent Udhyog dated 07.04.2023.	
14.	**Annexure – XIII** A copy of letter dated 07.08.2023 issued by M/s Shree Ram Ent Udhyog to RO, UPPCB.	
15.	**Annexure – XIV** A Copy of letter dated 02.09.2023 issued by UPPCB RO, Aligarh to UPPCB HO, Lucknow regarding inspection report.	

16.	**Annexure – XV** A Copy of inspection report dated 15.09.2023.	
17.	**Annexure – XVI** A Copy of Consent to Operate application dated 17.09.2023.	
18.	**Annexure – XVII** A Copy of inspection report of M/s Shree Ram Ent Udhyog.	
19.	**Annexure – XVIII** A Copy of Consolidated Consent to Operate and authorisation dated 09.10.2023, issued by UPPCB to M/s Shree Ram Ent Udhyog.	
20.	**Annexure – XIX** A copy of the compliant forwarded to DM, Aligarh.	
21.	**Annexure – XX** A copy of notice issued dated 07.12.2023 by UPPCB RO, Aligarh to M/s Shree Ram Ent Udhyog.	
22.	**Annexure – XXI** A copy of letter dated 19.12.2023.issued by UPPCB RO, Aligarh to M/s Shree Ram Ent Udhyog	
23.	**Annexure – XXII** A copy of compliant dated 22.03.2024 forwarded to ADM (Administration) Aligarh.	
24.	**Annexure – XXIII** A copy of inspection report of brick kilns.	
25.	**Annexure – XXIV** A copy of letter dated 19.03.2024 issued by UPPCB RO, Aligarh to DM Aligarh.	
26.	**Annexure – XXV** A copy of letter dated 22.03.2024 issued by UPPCB RO, Aligarh to UPPCB Lucknow.	
27.	**Annexure – XXVI** A copy of letter dated 06.05.2024 issued by UPPCB RO, Aligarh to UPPCB Lucknow.	
28.	**Annexure – XXVII** A copy of letter dated 07.05.2024 issued by UPPCB RO, Aligarh to UPPCB Lucknow.	
29.	**Annexure – XXVIII** A copy of letter dated 07.05.2024 issued by UPPCB RO, Aligarh to M/s Shree Ram Ent Udhyog.	
30.	**Annexure – XXIX** A copy of letter dated 13.05.2024 issued by UPPCB RO, Aligarh to UPPCB Lucknow.	
31.	**Annexure – XXX** A copy of inspection report dated 15.05.2024.	
32.	**Annexure – XXXI** A copy of show cause notice dated 31.02.2024.	

(Anamika Sagar)
Scientist 'E'
Central Pollution Control Board

Place: Delhi
Dated: 10.07.2024

INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE TO THE HON'BLE NGT (PB) ORDER DATED 29.04.2024 IN O.A.NO. 487/2024 IN THE MATTER OF SANDEEP & ANR. Vs. UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD & ORS.

1. BACKGROUND

The Hon'ble National Green Tribunal (Principal Bench) (hereinafter referred to as "NGT") vide order dated 29.04.2024, disposed of the matter and directed as below:

> *"...4 Hence, we require the representative of the Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB)* ***to carry out the spot inspection, ascertain the truthfulness of the allegation and also find out the status of implementation of the closure orders as also the orders of imposition of EC and the status of imposition of EC for all the past violations****. The representative of the Member Secretary will carry out this exercise within a period of* ***two months*** *from today and will submit a copy of the report to the Registrar General of the Tribunal and another copy of the report to the Member Secretary, UPPCB, who, on receipt of the report, will take appropriate action by duly following the principles of natural justice and will submit the action taken report before the Registrar General of the Tribunal within four months by e-mail. If found necessary, the matter will be listed for consideration before the Bench..."*

A copy of the Hon'ble NGT order dated 29.04.2024 is annexed as Annexure-I.

2. DETAILS OF THE GRIEVANCES RAISED IN O.A. NO. 487 OF 2024

The grievances raised in Original Application (hereinafter referred to as OA) 487/2024, are as below:

i. Brick-kiln namely M/s Shriram Ent Udhyog is illegally operated at Village Chhongwa, Police Station Chharra, Tehsil Atrauli and Janpad, Aligarh without obtaining NOC/Consent under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

ii. The closure order was issued by Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as "UPPCB") dated 04.04.2022, but despite the said closure order, the brick-kiln continues to operate.

iii. Environmental Compensation (hereinafter referred to as "EC") of Rs. 7,37,000/- was imposed by UPPCB. However, this has remained a paper formality, and no efforts have been made by UPPCB to recover the EC.

iv. The Consent to Operate was granted by UPPCB based on false documents. The consent was later revoked following a complaint from the Applicant.

3. COMPLIANCE STATUS OF THE HON'BLE NGT (PB) ORDER DATED 29.04.2024

In compliance to the Hon'ble NGT (PB) order dated 29.04.2024, Smt. Anamika Sagar, Scientist 'E', CPCB, inspected the brick-kiln i.e M/s Shriram Ent Udhyog, Village Chhongwa, Tehsil Atrauli, Janpad, Aligarh (hereinafter referred to as "brick kiln") on 30.05.2024 to ascertain the truthfulness of the allegations, status of implementation of the closure orders and status of imposition of EC for all

the past violations. Photographs of the site inspection are annexed as Annexure-II.

4. OBSERVATIONS MADE BY CPCB DURING THE INSPECTION ON 30.05.2024

i. . The brick kiln is located at Village Chhongwa, Tehsil Atrauli and Janpad, Aligarh and latitude and longitude of the brick kiln is 27.96746 and 78.382885 respectively.

ii. The brick kiln was found non-operational.

iii. The brick-kiln was based on zig-zag technology.

iv. The nearest habitation from the brick kiln is Chhongwa Village (having more than 20 houses), which is located at a distance of about 600 meters. A Mango Orchard is also located at a distance of about 560 meters. Google earth image of the alleged brick kiln is annexed as Annexure-III.

5. DOCUMENTARY EVIDENCE COLLECTED BY CPCB FROM REGIONAL OFFICE, ALIGARH, UPPCB

As per the information/documents provided by Regional Office, Aligarh, UPPCB (hereinafter referred to as "RO, Aligarh") following is humbly submitted:

I. Closure Direction dated 04.04.2022 issued by UPPCB to the Brick-kiln

Based on a complaint received from Shri Sandeep Kumar on 24.03.2022, the officials from RO, Aligarh, UPPCB inspected the brick-kiln on 28.03.2022. During the inspection, it was observed that the brick kiln was operating without valid CTO and in violation of Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting criteria for establishment) Rules, 2012, notified vide notification dated 27.06.2012 by Government of Uttar Pradesh. Copies of the complaint

and inspection report of RO, Aligarh, UPPCB are annexed as Annexure-IV & V respectively.

In view of above non-compliances, the UPPCB issued closure direction to the brick kiln vide letter dated 04.04.2022. A copy of the closure direction dated 04.04.2022 is annexed as Annexure-VI.

II. **Details of the inspections carried out to verify the enforcement of closure direction dated 04.04.2022 issued by UPPCB**

Date of inspection	Operational Status	Inspected by	Remarks
26.05.2022	Closure direction enforced by the Joint Team	• District Administration, Aligarh, • RO- Aligarh, UPPCB, • Zila Panchayat, Aligarh and • Police department, Aligarh	Closure direction enforced by the Joint Team Copy of the inspection report is annexed as Annexure-VII
01.06.2022	Operational	Based on the news items published in daily newspapers, Officials from RO, Aligarh, UPPCB inspected the brick-kiln	For violation of closure direction, an EC of Rs. 7,37,500/- for 59 days of violation (from 04.04.2022 to 01.06.2022) was recommended by RO-Aligarh, to HO, UPPCB. vide letter dated 04.06.2022. The EC has been calculated based on the methodology developed by CPCB, considering repeat violation factor. Copies of

			the letter and inspection report are annexed as Annexure-VIII & IX respectively.
25.12.2022	Non-Operational	Officials from RO, Aligarh, UPPCB	Inspection report annexed as Annexure-X
17.03.2023	Operational	• District Administration, Aligarh, • RO- Aligarh, UPPCB,	The brick kiln operations were stopped by spraying water through fire tenders. However, no EC was recommended. EC may be calculated considering 2nd repeat violation. Inspection report annexed as Annexure-XI
07.04.2023	Operational	• SDM, Aligarh, • Mining officer, Aligarh, • RO- Aligarh, UPPCB, • Police dept. Aligarh.	The brick kiln operations were stopped by spraying water through fire tenders. However, no EC was recommended. EC may be calculated considering 3rd repeat violation. inspection report annexed as Annexure-XII

III. **Revocation of closure order dated 04.04.2022**

The brick-kiln owner vide letter dated 07.08.2023, requested RO, Aligarh, UPPCB, to revoke the closure direction dated 04.04.2022. He also submitted that the first CTO was issued in the name of M/s Sukesh Kumar B.K.O dated 07.02.1997 (which was the old name of M/s Shriram Ent Udhyog). Copy of the letter dated 07.08.2023 from brick kiln owner is annexed as Annexure-XIII.

Considering the request, the RO, Aligarh, UPPCB inspected the said brick kiln on 11.08.2023 and made following observations;

a. As per the available record in UPPCB, first time CTO was issued in the name of M/s Sukesh Kumar B.K.O. on 07.02.1997.
b. The brick kiln was found to be on Zig-Zag/High Draft system.
c. Monitoring platform, porthole and stairs were found installed on stack.
d. The brick kiln is established and operational before 27.06.2012.

The RO, Aligarh, forwarded the inspection report to HO UPPCB vide letter dated 02.09.2023. Based on the said inspection report, UPPCB revoked the closure order dated 04.04.2022 vide their letter dated 15.09.2023. Copies of the inspection report and revocation order dated 15.09.2023 are annexed as Annexure-XIV and Annexure-XV respectively.

IV. Issuance of Consent to Operate (CTO) to the brick-kiln

The brick-kiln owner applied for CTO on 17.09.2023 through on-line portal. Upon receipt of the online application, RO, Aligarh, UPPCB inspected the brick kiln on 18.09.2023. The CTO was subsequently issued to the brick-kiln on 09.10.2023, with validity until 30.06.2028. Copy of the CTO application, inspection report and CTO are annexed as Annexure-XVI, Annexure-XVII and Annexure-XVIII respectively.

V. Revocation of CTO issued by UPPCB

Further, a complaint was received by RO Aligarh, UPPCB through District Magistrate, Aligarh, whereby, the complainant has alleged that UPPCB has granted consent to M/s Shri Ram Eint Udhyog based on false documents i.e by submitting the copy of earlier consent granted by UPPCB on 07.02.1997 in the name of M/s. Sukesh Kumar (B.K.O.), located at Gatta no. 247, Rampur Majra

Bhudia, Tehsil Atrauli, Aligarh. As reported by the complainant, brick-kiln namely M/s. Sukesh Kumar (B.K.O.) is located at Gatta no. 247, Rampur Majra Bhudia, Tehsil Atrauli, Aligarh, whereas brick-kiln namely M/s Shri Ram Ent Udhyog is located at Gatta no. 37, Chhongwa, Chharra, Tehsil Atrauli, Aligarh, both are located at different locations and not the same. Copy of the complaint is annexed as Annexure-XIX.

Based on the above mentioned complaint, a notice was served to the brick-kiln owner on 07.12.2023 by UPPCB to submit the clarification and proof of address, location and gata number etc. within 03 days. In this regard, no reply was received and CTO was revoked by UPPCB, vide letter dated 19.12.2023. Copies of the notice dated 07.12.2023 and revocation order dated 19.12.2023 are annexed as Annexure-XX and Annexure-XXI respectively.

In this regard, Additional District Magistrate (Administration), Aligarh also submitted the factual report to District Magistrate, Aligarh on 22.03.2024, regarding issuance of CTO to the said brick kiln based on the false documents submitted by project proponent. The major highlights of the report are as follows;

a. On the basis of evidences, it is clear that brick kiln namely M/s Sukesh Kumar B.K.O. is located at Gata no. 247, Rampur Majra Bhudia, Tehsil Atrauli, Aligarh and brick kiln namely M/s Shri Ram Ent Udhyog is located at Gata no. 37, village: Chhongwa, Chharra, Tehsil Atrauli, Aligarh, it is clear from the above facts that the brick kilns in question are situated at different villages and are not same.
b. On the basis of investigation, it was observed that forged documents were submitted by the Project Proponent, Smt. Rani Devi, and without verifying the said documents, CTO was issued by then Regional Officer, Aligarh,

UPPCB. A copy of the ADM report dated 22.03.2024 is annexed as Annexure- XXII.

A team of Officials from SDM office, Aligarh and RO, Aligarh, inspected the brick kiln on 30.01.2024 and found non-operational. A copy of the inspection report is annexed as Annexure-XXIII.

A team of officials from SDM, Atrauli and RO, Aligarh inspected the brick kiln on 04.03.2024 and brick kiln was found operational. A copy of the inspection report dated 04.03.2024 is annexed as Annexure-XXIV.

A team of officials from RO, Aligarh, UPPCB, inspected the brick kiln on 21.03.2024 and found operational. For operating the brick kiln without valid CTO, an EC of Rs. 1,06,250/- for 17 days of violation (from 05.03.2024 to 21.03.2024) was recommended by RO, Aligarh to HO, UPPCB vide letter dated 22.03.2024. It has been observed that EC has been calculated without considering the repeat violation factor. Since violations occurred repeatedly, EC may be recalculated considering repeated violations i.e. by 2 times on 1st repetition. Copies of inspection report and letter from RO, Aligarh to HO, UPPCB are annexed as Annexure-XXV.

A team of officials from RO, Aligarh UPPCB, visited the brick kiln on 01.05.2024 and found operational. For operating the brick kiln without valid consent, an EC of Rs. 5,12,500/- for 41 days of violation (22.03.2024 to 01.05.2024) was recommended by RO, Aligarh, to HO, UPPCB vide letter dated 06.05.2024. It has been observed that EC has been calculated considering repeated violation factor (two times). Since violations occurred repeatedly on 04.03.2024, 21.03.2024 and 01.05.2024, EC may be recalculated considering repeated violations i.e. 4 times on 2nd repetition. Copy of the inspection report

and letter from RO, Aligarh, UPPCB to HO, UPPCB ais annexed as Annexure-XXVI.

A team of officials from RO, Aligarh UPPCB, inspected the brick kiln on 06.05.2024 and brick kiln was found operational. For operating the brick kiln without valid consent, an EC of Rs. 1,25,000 for 05 days of violation (from 02.05.2024 to date of inspection 06.05.2024) was recommended by RO, Aligarh, UPPCB to HO, UPPCB vide letter dated 07.05.2024. It has been observed that EC has been calculated considering repeated violation factor (4 times). Since violations occurred repeatedly on 04.03.2024, 21.03.2024, 01.05.2024 and 06.05.2024, EC may be recalculated considering repeated violations i.e. by 8 times on 3rd repetition. A copy of the letter from RO, Aligarh, UPPCB to HO, UPPCB are annexed as Annexure-XXVII.

VI. Closure Direction dated 07.05.2024 issued by UPPCB to the brick-kiln

In view of the non-compliances by the brick-kiln, closure direction dated 07.05.2024 was issued by UPPCB and directed to remain closed and not to operate without having valid consent. A copy of closure order dated 07.05.2024 is annexed as Annexure- XXVIII.

VII. Inspections to verify the enforcement of closure direction dated 07.05.2024

Date of inspection	Operational Status	Inspection Team	Remarks
10.05.2024	Operational	Officials from, RO, Aligarh UPPCB	EC of Rs. 2,00,000/- for 04 days of violation (from 07.05.2024 to 10.05.2024) recommended by RO, Aligarh, UPPCB to HO, UPPCB vide letter dated 13.05.2024, Annexure-XXIX. The EC has been calculated based on the methodology developed by CPCB and taking into consideration repeated violation factor 8 times for considering violation on 04.03.2024, 21.03.2024, 01.05.2024, 06.05.2024 and 10.05.2024)
15.05.2024	Operational	officials from District Administration, Aligarh and RO, Aligarh, UPPCB	Stopped by the Joint team. Inspection report annexed as Annexure-XXX. However, no EC was recommended. EC may be calculated considering 5th repeat violation.

VIII. Show Cause Notice to the brick kiln

The UPPCB vide letter dated 31.05.2024 issued Show Cause Notice to the brick kiln owner, for imposition of EC for an amount of Rs. 16,81,250/ (Rs. 7,37, 500/- for 59 days + Rs. 1,06,250/- for 17 days + Rs. 5,12,500/- for 41 days + Rs. 1,25,000/- for 5 days + Rs. 2,00,000/- for 4 days) However, no EC has been recovered till the date of inspection by CPCB i.e. 30.05.2024. A copy of the Show Cause Notice is annexed as Annexure-XXXI.

6. **CONCLUSION:**

i. The brick kiln was found non-operational on the day of inspection by CPCB on 30.05.2024.

ii. The brick kiln was operating without valid CTO and in violation of Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting criteria for establishment) Rules, 2012, hence closure order was issued by UPPCB vide order dated 04.04.2022.

iii. The Nearest habitation from the alleged brick kiln is Chhongwa village (having more than 20 houses), which is at around 600 meters distance from brick kiln. There is also a mango orchard at a distance of around 560 meters. The alleged brick kiln is not in accordance with the Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting criteria for establishment) Rules, 2012, which stipulates that Brick kilns should be established at a minimum distance of 01 kilometre from habitation and 800 meters from fruit orchards. The siting criteria of the alleged brick kiln is also not in accordance with the MoEF&CC notification dated 22.02.2022, which stipulates that Brick kilns should be established at a minimum distance of 0.8 kilometre from habitation and fruit orchards.

iv. The closure order dated 04.04.2022 was revoked by UPPCB vide letter dated 15.09.2023. Subsequently, CTO was granted by UPPCB, vide letter dated 09.10.2023. The CTO was revoked by UPPCB vide letter dated 19.12.2023.

v. As per the report submitted by ADM, Aligarh, the Project Proponent obtained the CTO by submitting forged documents.

vi. Further, the brick -kiln was found operational without valid CTO and closure order dated 07.05.2024 was issued by UPPCB.

vii. The UPPCB vide letter dated 31.05.2024 issued Show Cause Notice to the brick kiln owner, for imposition of EC for an amount of Rs. 16,81,250/

(Rs. 7,37, 500/- for 59 days + Rs. 1,06,250/- for 17 days + Rs. 5,12,500/- for 41 days + Rs. 1,25,000/- for 5 days + Rs. 2,00,000/- for 4 days). However, no EC has been recovered till the date of inspection by CPCB i.e. 30.05.2024.

viii. The Project Proponent is reported to be a repeated violator.

ix. As per the methodology developed by CPCB, EC may be calculated by considering the deterrent factor for repeated violations, i.e. 2 times on 1st repetition, 4 times on 2nd repetition and 8 times on further repetitions.

x. As directed by the Hon'ble NGT vide order dated 29.04.2024, the UPPCB may take necessary action for the above violations following the principles of natural justice including recovery of EC.

Date: 09.07.2024

Anamika Sagar
Additional Director & Divisional Head (IPC-V)
Central Pollution Control Board, Delhi

Annexure-I

Item No. 04 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 487/2024

Sandeep & Anr. Applicant(s)

Versus

Uttar Pradesh State Pollution Control Board & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 29.04.2024

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON**
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Sandeep, Applicant in Person

ORDER

1. In this original application, Applicant has raised the grievance that at Village Chhongwa, Police Station Chharra, Tehsil Atrauli and Janpad Aligarh, illegal brick kiln is being operated by the project proponent, Shriram Ent Udhyog. The further allegation is that no NOC/consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Water Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 has been obtained by the project proponent and that on 04.04.2022, the closure order was passed by the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), but in spite of the said closure order, the project proponent is running the Ent Bhatta. It is further the case of the Applicant that Environmental Compensation (EC) of Rs. 7,37,000 was imposed by the UPPCB upon the project proponent but that was only a paper formality and no efforts have been made to recover the said EC.

2. Learned Counsel for the Applicant submits that on the complaint of the Applicant further action was initiated for imposition of EC and by

order dated 22.03.2024 for the violation of 17 days from 05.03.2024 to 21.03.2024, EC of Rs. 1,06,250/- was imposed. He submits that the brick kiln is operating illegally and no effective action has been taken and no EC has been recovered and subsequently on the basis of the incorrect papers submitted by the project proponent consent has been granted which was revoked on complaint by the Applicant. He submits that the brick kiln in question is still operating.

3. The OA raises issue relating to compliance of the environmental norms.

4. Hence, we require the representative of the Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB) to carry out the spot inspection, ascertain the truthfulness of the allegation and also find out the status of implementation of the closure orders as also the orders of imposition of EC and the status of imposition of EC for all the past violations. The representative of the Member Secretary will carry out this exercise within a period of two months from today and will submit a copy of the report to the Registrar General of the Tribunal and another copy of the report to the Member Secretary, UPPCB, who, on receipt of the report, will take appropriate action by duly following the principles of natural justice and will submit the action taken report before the Registrar General of the Tribunal within four months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed for consideration before the Bench.

5. The OA is accordingly disposed of.

6. A copy of this order be forwarded to the Member Secretaries of CPCB and UPPCB by e-mail for compliance.

Prakash Shrivastava, CP

Dr. A. Senthil Vel, EM

April 29, 2024
Original Application No. 487/2024
DV

Annexure-II

Photographs of the site inspection:

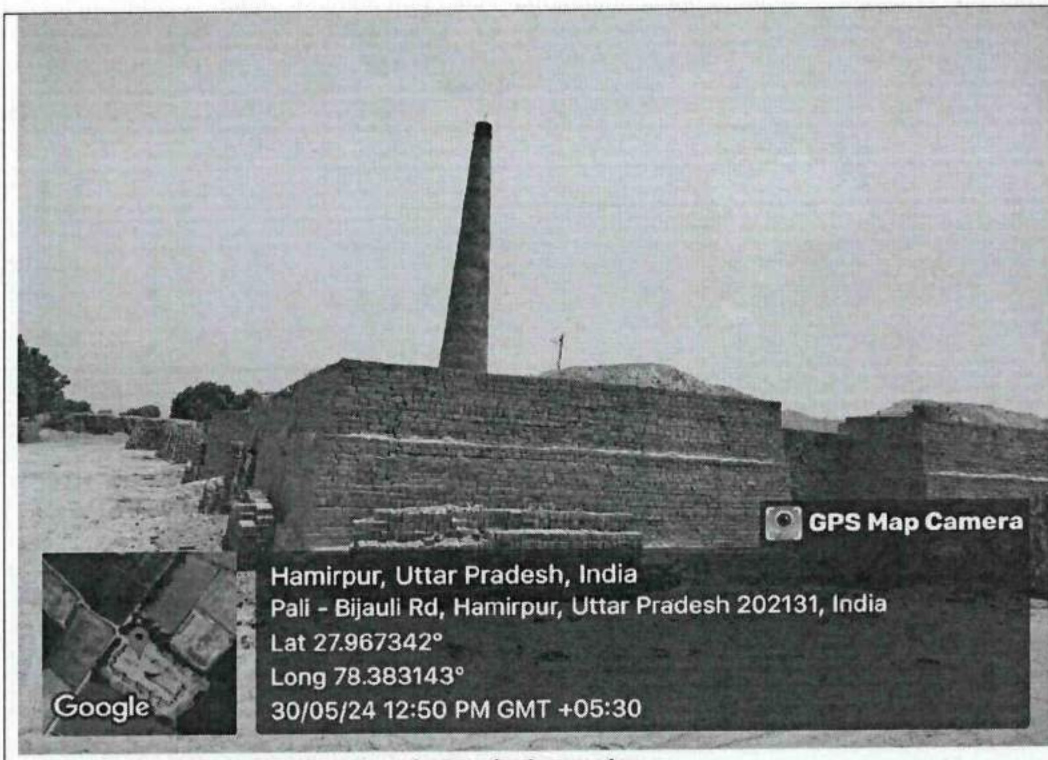

Photograph of the brick kiln taken during the inspection

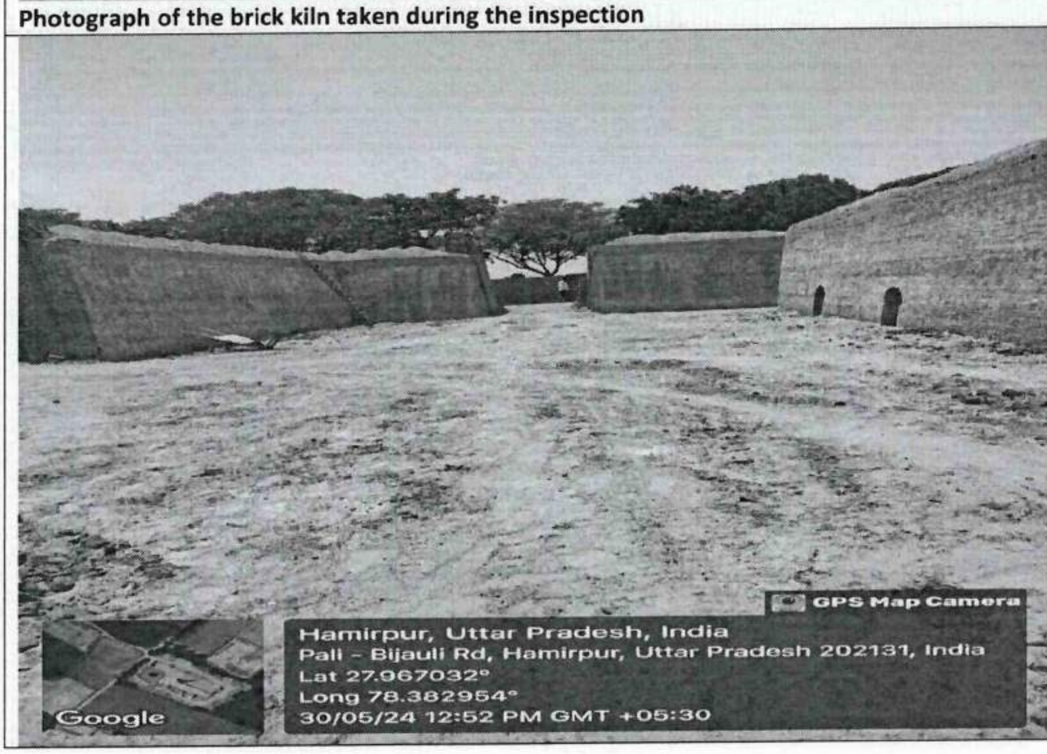

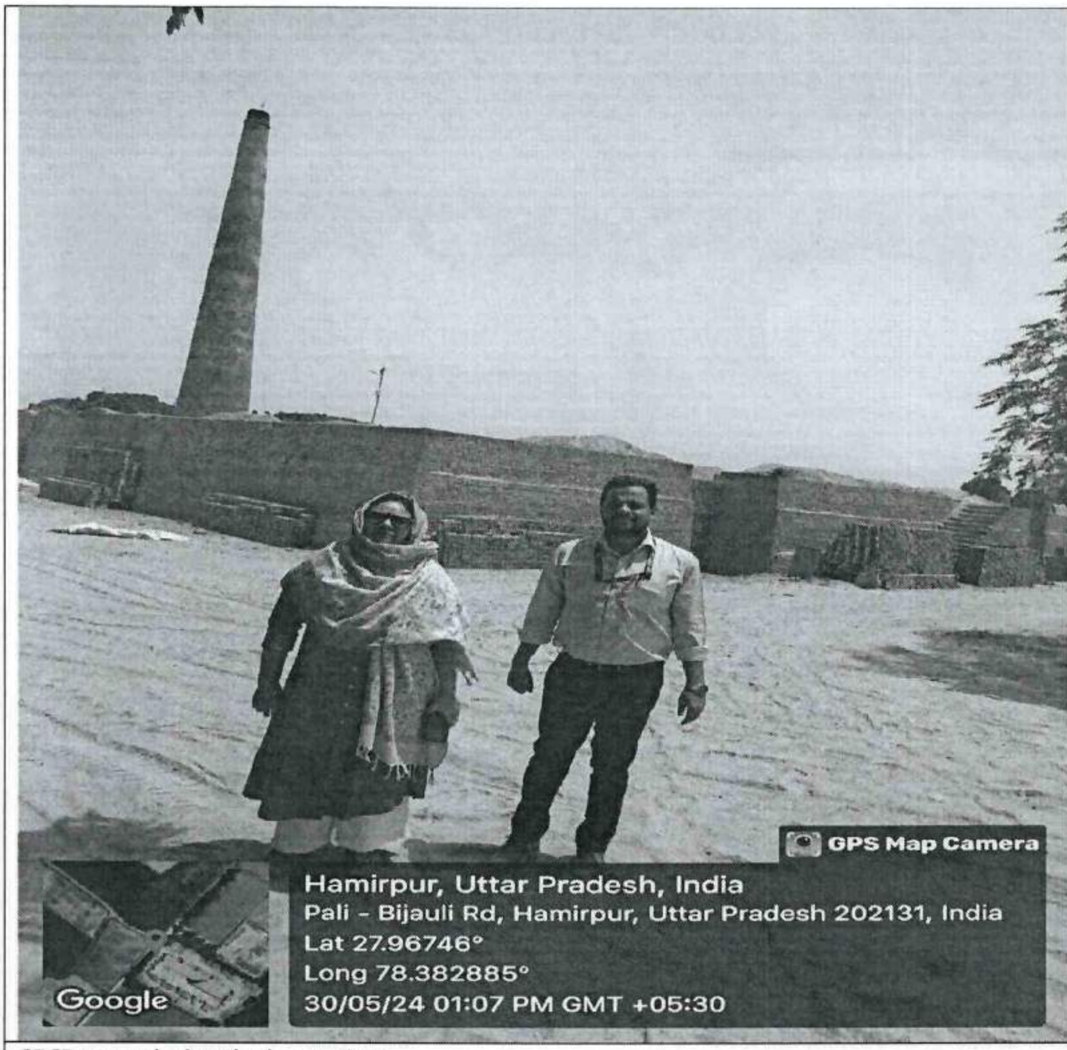

CPCB team during the inspection

Mango orchard
Distance between brick kiln and orchard 560 m
Gurendra Singh Farm
Pali - Bijauli Rd
M/s shri ram Ent Udhyog
Image © 2024 Airbus
distance between brick kiln and nearest habitation-590 m
Chaugawa village
Shiv Mandir
Imagery Date: 5/15/2023 27°58'19.86" N 78°22'55.98" E elev 204 m eye alt 1.72 km
Google Earth

Annexure- IV

482

सेवा में

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
जिला अलीगढ़

विषयः– अवैध ईंट भटटा के सम्बन्ध में पुनः शिकायती पत्र

महोदय

निवेदन है कि ग्राम छौगवां (निकट सिरसा) थाना छर्रा तह0 अतरौली जिला अलीगढ़ में स्थित फर्म उडिया बाबा ईंट उद्योग है जिसका B B W मार्का ईंट है।

इस फर्म पर न तो प्रदूषण विभाग की सहमति अथवा एन0ओ0सी नहीं है और न ही रायल्टी आदि जमा की गयी है साथ ही किसी भी विभाग से कोई परमीशन नही ली गयी हैं। और उक्त फर्म कई वर्षों से इसी तरह चलाई जा रही है जबकि इस भटटे के आसपास कई फल दार वृक्षों के बांगान लगे हुए है और आबादी बसी हुई है (नक्सा संलग्न है) यह शिकायत मेरे द्वारा 29.12.2021 को की गई जो आपके कार्यालय में 31.12.2021 को स्वीकार की गई है जबकि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

माननीय उच्चन्यायालय प्रयाग राज के आदेशानुसार पूरे जनपद में अवैध भटटों पर कार्यवाही करने के आदेश दिये गये है। लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी कुछ अधिकारियों की मिली भगत से इस अवैध भटटे को बचाया जा रहा है जिससे कि माननीय उच्चन्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है।

आपसे निवेदन है कि इस उक्त अवैध भटटे की जाँच कर इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही कर बन्द कराने की कृपा करें जिससे कि इस तरह के भटटा बन्द कराकर माननीय उच्चन्यायालय के आदेश का पालन हो सकें।

प्रतिलिपि

1. माननीय मुख्य मंत्री महोदय उ0प्र0 लखनऊ
2. क्षेत्रीय अधिकारी महादेय उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड
3. नेशनल ग्रीन ट्रिव्यनल फरिद कोट हाउस
   कॉपर निक्स मार्ग नई दिल्ली
4. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोमती नगर लखनऊ
5. सचिव महोदय मा0 उच्चन्यायालय प्रयाग राज

दिनांक 28.02.2022

प्रार्थी

संदीप कुमार

संदीप कुमार पुत्र ओम प्रकाश
निवासी शिवपुरी छर्रा अलीगढ़
मो0 नं0 9758110340

Annexure – V

REGIONAL OFFICE & LABORATORY

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 2025/AU-578/2022 दिनांक 31.03.2022

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4)
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–श्री संदीप कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी–शिवपुरी, छर्रा तहसील द्वारा मै0 श्री राम ईंट उद्योग (शिकायकर्ता द्वारा ईट भट्ठे का नाम –मै0 उड़िया बाबा ईट उद्योग) (अक्षांश–27.966926 एवं देशान्तर–78.383152), ग्राम–छौगवां–निकट–सिरसा, थाना–छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि सन्दर्भित ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.03.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उक्त ईट भट्ठा बोर्ड से बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये ईट भटठे का संचालन किया जा रहा है।

अतः ईंट भट्ठे द्वारा बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये ईट भटठे का संचालन किये जाने की दशा में ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित की धारा–31(ए) के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(सपना श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : खान अधिकारी, अलीगढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय पता : जे–1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़–202001 Phone & Fax : 0571 2743521
Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001 E-mail : roaligarh@uppcb.com

श्री संदीप कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी–शिवपुरी, छर्रा तहसील द्वारा मै0 श्री राम ईंट उद्योग (शिकायकर्ता द्वारा ईट भट्ठे का नाम –मै0 उड़िया बाबा ईट उद्योग) (अक्षांश–27.966926 एवं देशान्तर–78.383152), ग्राम–छौगवां–निकट–सिरसा, थाना–छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध की गयी शिकायत के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध खान अधिकारी, अलीगढ़ के पत्र संख्या–1153(II)/डी.एल. आर.सी. दिनांक 14.01.2022 का सन्दर्भ में आपके आदेशानुसार उक्त ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरीकताओं द्वारा दिनांक 28.03.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री बच्चन सिंह, मुनीम उपस्थित मिले, जिसने द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठे के मालिक श्री बोधपाल सिंह है। विस्तृत आख्या निम्नवत है:–

1. निरीक्षण के समय सन्दर्भित ईट भट्ठा (अक्षांश 27.966926 एवं देशान्तर–78.383152), ग्राम–छौगवां–निकट–सिरसा, थाना–छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ में स्थापित एवं संचालित पाया गया।
2. ईंट भट्ठा राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति जल/वायु प्राप्त किये स्थापित कर संचालित किया जा रहा है।
3. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा की चिमनी भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची स्थापित कर ली गयी है। ईट भट्ठे पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
4. ईंट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठे में कच्चे माल के रूप में मिट्टी बालू एवं पानी का प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग–20,000=00 ईंट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
5. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा ईंट भट्ठे के स्थापना के सम्बन्ध में मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि उक्त ईंट भट्ठा लगभग–02–03 वर्ष पूर्व से स्थापित एवं संचालित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य निरीक्षणकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये।
6. ईंट भट्ठा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईंट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है।
7. सन्दर्भित ईट भट्ठा स्थल से उत्तर–पश्चिम दिशा में ग्राम–सिरसा–750 मीटर की दूरी पर, पूर्व दिशा में ग्राम–छौगंवा–लगभग–600 मीटर दूरी पर, उत्तर–पश्चिम–कृषि योग्य भूमि, तथा पश्चिम दिशा में ग्राम–हमीरपुर लगभग–960 मीटर दूरी की दूरी पर स्थित है, दक्षिण दिशा में लगभग–600 मीटर की दूरी पर आम का बाग, जिसमें लगभग–100 पेड़ से अधिक है, जोकि ईंट भट्ठा स्थापनार्थ हेतु जारी गाईडलाइन 2012 के अनुरूप नहीं है।

उपरोक्त समस्त को संज्ञानित करने से स्पष्ट है कि सन्दर्भित ईट भट्ठा स्थल उ0प्र0 शासन द्वारा जारी उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाईडलाइन के अनुरूप नहीं है। उक्त ईट भट्ठा उ0प्र0 शासन द्वारा जारी गाईडलाइन का उल्लंघन करते हुए राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापित एवं बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित किया जा रहा है। अतः ईट भट्ठे के विरूद्ध विधिक/बन्दी की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

30.3.22 | 30/03/22
(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(अजय कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदया,

Annexure-VI

(2) 07/04/22 (9)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : 4738/15 पंजीकृत
/सी–4/ईंट–904/बन्दी/2022 दिनांक 4-4-22

मै0 श्री राम ईंट उद्योग,
ग्राम–छौगवां, निकट–सिरसा, थाना–छर्रा, तहसील–अतरौली,
जनपद–अलीगढ़।

मै0 श्री राम ईंट उद्योग, ग्राम–छौगवां, निकट–सिरसा, थाना–छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईंट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे की शिकायत क्षेत्रीय कार्यालय अलीगढ़ में प्राप्त होने के संदर्भ में क्षेत्रीय कार्यालय के प्राधिकारियों के द्वारा ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 28.03.2022 को किया गया। निरीक्षण में ईंट भट्ठा राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये स्थापित एवं संचालित पाया गया। ईंट भट्ठा उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 लागू होने के बाद से स्थापित व संचालित है। उद्योग स्थल से उत्तर–पश्चिम दिशा में ग्राम–सिरसा–750 मी0 की दूरी पर पूर्व दिशा में ग्राम–हमीरपुर लगभग–960 मी0 दूरी पर स्थित है, दक्षिण दिशा में लगभग–600 मी0 की दूरी पर आम का बाग, जिसमे लगभग–100 पेड़ से अधिक है, जोकि ईंट भट्ठा स्थापनार्थ हेतु जारी गाइडलाइन 2012 के अनुरुप नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र सं0–2025/एयू–578/2022 दिनांक 31.03.2022 द्वारा प्रश्नगत ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रंण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जानें की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ईंट भट्ठा मै0 श्री राम ईंट उद्योग, ग्राम–छौगवां, निकट–सिरसा, थाना–छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रंण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्नलिखित बन्दी आदेश जारी किया जाता हैं :–

1. यह कि मै0 श्री राम ईंट उद्योग, ग्राम–छौगवां, निकट–सिरसा, थाना–छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मै0 श्री राम ईंट उद्योग, ग्राम–छौगवां, निकट–सिरसा, थाना–छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी–वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– जिलाधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2– प्रभारी अधिकारी खनन जनपद अलीगढ़ को इस आशय के साथ कि उक्त भट्ठे का खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का कष्ट करें।
3– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत जनपद अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि भट्ठे का लाइसेन्स निरस्त करते हुए भट्ठे को अपने स्तर से बंद कराने का कष्ट करें।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Att/E

प्रभारी–वृत्त–4

टी.सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC-12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

(3) (8)

बन्दी आदेश का अनुपालन

बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच73845/सी–4/ईंट–904/बन्दी/2022 दिनांक 04.04.2022 के द्वारा मै0 श्री राम ईंट उद्योग, ग्राम–छौगवां, निकट सिरसा, थाना–छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद--अलीगढ़ को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये हैं। उक्त ईट भट्ठे का निरीक्षण जिला प्रशासन तहसील–अतरौली के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 26.05.22 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे के प्रतिनिधि के रूप में श्री बोधपाल सिंह मो.नं. 9759232585 उपस्थिति थे। उक्त ईट भट्ठे का संचालन दिनांक 26.05.22 को बन्द करा दिया गया है। बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्ठे के प्रतिनिधि श्री बोधपाल सिंह ——— को एवं सम्बन्धित थाना छर्रा के प्रतिनिधि श्री एस0पी0 सिंह एस0एस0आई0छर्रा मो. नं.: 9412587964 को प्राप्त करा दी गयी है।

(हस्ताक्षर) 26.05.22 जितेन्द्र कुमार शर्मा सहायक पर्यावरण अभियन्ता उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़	(हस्ताक्षर) 26/5/22 एस0पी0 सिंह सब इन्सपेक्टर सम्बन्धित थाने के थानाध्यक्ष/प्रतिनिधित	(हस्ताक्षर) 26.05.22 सुरेन्द्र कुमार गौतम नायब तहसीलदार उपजिलाधिकारी/प्रतिनिधि

(हस्ताक्षर) BP
बोधपाल सिंह
मै0 श्री राम ईंट उद्योग
ग्राम छौगवां निकट सिरसा
थाना छर्रा अतरौली अलीगढ़

(हस्ताक्षर)
हरवेन्द्र सिंह
आर0 आई
जिला पंचायत
अलीगढ़

मैसर्स श्रीराम ईंट उद्योग, ग्राम–छौगवां, निकट सिरसा, थाना–छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्याः–

1	ईंट भट्ठे का नाम व पता	मैसर्स श्रीराम ईंट उद्योग, ग्राम–छौगवां, निकट सिरसा, थाना–छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ।
2	निरीक्षणकर्ता का नाम व पद नाम	अजय कुमार, सहायक पर्यावरण अभियन्ता उपेन्द्र प्रसाद, अवर अभियन्ता जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रयोगशाला सहायक
3	निरीक्षण की तिथि	01.06.2022
4	निरीक्षण के समय उपस्थित ईंट भट्ठा प्रतिनिधि का नाम	श्री मोहकम सिंह, (मुनीम)
5	ट्रेड टैक्स विभाग/जिला पंचायत विभाग के अनुसार ईंट भट्ठा संचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम एवं पूर्ण पता	09CRXPD2742Q1ZW श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री बोधपाल (प्रोपराइटर), ग्राम–छौगवां, निकट सिरसा, थाना–छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ।
6	ईंट भट्ठे का स्थापना वर्ष	जी0एस0टी0 रस्ट्रेशन के अनुसार उक्त ईंट भट्ठा वर्ष–2021 से स्थापित एवं संचालित है।
7	अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्गमन की स्थिति	प्राप्त नही
8	ईंट भट्ठे की उत्पादन क्षमता	20,000/दिन
9	कच्चे माल का विवरण	मिट्टी, पानी, बालू आदि
10	ईंधन का प्रकार एवं खपत की मात्रा	लकड़ी/तूरी–35 कुन्टल/दिन
11	वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विवरण	ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर एवं चिमनी लगभग–30 ऊँची स्थापित है। निरीक्षण के समय गैसीय उत्सर्जकों के अनुश्रवणों हेतु प्लेटफार्म, पोर्टहॉल एवं सीढी स्थापित नही पायी गयी।
12	सहमति जल/वायु का विवरण	प्राप्त नही।
13	ईट भट्ठे का फोटो एवं अक्षांश व देशान्तर का विवरण	27.966926, 78.383152
14	ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश दिनांक 04.04.2022 के अनुपालन की स्थिति का विवरण	दिनांक 01.06.2022 को निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया।
15	ईट भट्ठे का स्थल का विवरण	सन्दर्भित ईट भट्ठा स्थल से उत्तर–पश्चिम दिशा में ग्राम–सिरसा–750 मीटर की दूरी पर, पूर्व दिशा में ग्राम–छौंगवा लगभग–600 मीटर की दूरी पर, उत्तर–पश्चिम दिशा में कृषि योग्य भूमि तथा पश्चिम दिशा में ग्राम–हमीरपुर लगभग–960 मीटर की दूरी पर स्थित है, दक्षिण दिशा में लगभग–600 मीटर की दूरी पर आम का बाग, जिसमें लगभग–100 पेड़ से अधिक है, जोकि ईट भट्ठा स्थापनार्थ हेतु जारी गाईडलाइन 2012 के अनुरूप नही है।

टिप्पणी –

ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या—एच73845/सी–4/ईंट–904/बन्दी/2022 दिनांक–04.04.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया था। ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 01.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित पाया गया। ईट भट्ठे के आस–पास कच्ची ईट की पथाई का कार्य होता हुआ पाया। ईट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश दिनांक

04.04.2022 से दिनांक 01.06.2022 तक कुल 59 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF,EC=50x1x500x.5x1.0=12,500/- प्रतिदिन की दर से 59 दिवस हेतु कुल रु0 12,500x59=7,37,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम–1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(उपेन्द्र प्रसाद)
अवर अभियन्ता

(अजय कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

सत्यापित

(अजय कुमार)
जनसूचना अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

Scanned with ACE Scanner

Annexure - IX

(4)

(15)

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 711/AU-578/22 दिनांक 04-6-22

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4)
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः मैसर्स श्रीराम ईंट उद्योग, ग्राम–छौगवां, निकट सिरसा, थाना–छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एच 73845 दिनांक–04.04.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन के सहयोग से दिनांक 26.05.2022 को ईट भट्ठे का संचालन बन्द कराया गया था। सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध जन शिकायत प्राप्त होने को दृष्टिगत ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 01.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया।

ईट भट्ठे द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन न करते हुए ईट भट्ठे का संचालन निरन्तर किया जा रहा है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x500x.5 x1.0 =12,500/- प्रतिदिन की दर से जारी बन्दी आदेश दिनांक 04.04.2022 से दिनांक 01.06.2022 तक कुल दिवस 59 हेतु कुल रू0 12,500x59=7,37,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम–1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. उपजिलाधिकारी, अतरौली, जनपद–अलीगढ़।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

कार्यालय पता : जे–1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड,अलीगढ़–202001 Phone & Fax : 0571 2743521
Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001 E-mail : roaligarh@uppcb.com

मै0 श्रीराम ईंट उद्योग, ग्राम–छौगवां, निकट–सिरसा, थाना–छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक सन्दभित ईट भट्ठा बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच73845/सी–4/ईट–904/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त ईट भट्ठे की पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं निरीक्षण दिनांक 25.12.2022 के दौरान पाये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आख्या निम्नवत् है:–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार वाणिज्यकर विभाग द्वारा मै0 श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम–सिरसा, पोस्ट–विजौली, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के नाम से जारी टिन नं.–09125208836 दिनांक 26.03.2011 को फर्म स्वामी श्री मोहकम सिंह के नाम से जारी किया गया है (छायाप्रति संलग्न है)।
2. उक्त ईट भट्ठे के विरुद्ध श्री संदीप कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, निवासी–शिवपुरी, छर्रा, जनपद–अलीगढ़ द्वारा बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये तथा 27 जून, 2012 की गाईडलाइन्स के अनुरूप न होने के बावत इस कार्यालय में अपर नगर मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 26.03.2022 एवं खान अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा भी दिनांक 14.01.2022 के माध्यम से शिकायती पत्र प्रेषित किये गये। उक्त शिकायती पत्र के अनुक्रम में इस कार्यालय द्वारा
दिनांक 28.03.2022 को निरीक्षण किया गया। तत्समय की निरीक्षण आख्यानुसार संदर्भित ईट भट्ठा स्थल से उत्तर–पश्चिम दिशा में ग्राम–सिरसा लगभग–750 मीटर की दूरी पर, पूर्व दिशा में ग्राम–छौगवां लगभग–600 मीटर, उत्तर–पश्चिम दिशा में कृषि योग्य भूमि, पश्चिम दिशा में ग्राम–हमीरपुर लगभग–960 मीटर दूरी पर स्थित है तथा दक्षिण दिशा में लगभग– 600 मीटर की दूरी पर आम का बाग जिसमें लगभग–100 पेड़ से अधिक है, जोकि ईट भट्ठा स्थापनार्थ जारी गाइडलाइन 2012 के अनुरूप नही है कि आख्या प्रेषित करते हुए बोर्ड मुख्यालय को उक्त ईट भट्ठे के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–2025/ए.यू.–578/ 2022 दिनांक **31.03.2022 के माध्यम से संस्तुति की गयी है, जिसके परिपेक्ष्य में बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 04.04.2022 को ईट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच73845/सी–4/ईट–904 /बन्दी/2022 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम के माध्यम से दिनांक 26.05.2022 के माध्यम से ईट भट्ठे की बन्दी सुनिश्चित करायी गयी (छायाप्रति संलग्न है)।**
3. उक्त ईट भट्ठे द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी,पानी, का प्रयोग कर ईट का उत्पादन क्षमता–20000/दिन किया जाता है।
4. सन्दर्भित ईट भट्ठे में ईधन के रूप में तूरी, लकड़ी, कोयला लगभग–4 टन/दिन प्रयोग किये जाने से सूचित किया गया है।
5. सन्दर्भित ईट भट्ठे द्वारा जल का प्रयोग ईटों की पथाई एवं घरेलू प्रयोजनार्थ के रूप में किया जाता है।
6. सन्दर्भित ईट भट्ठे का आक्षांश –27.966926 एवं देशान्तर–78.383152 पर भट्ठा स्थापित/संचालित है। वर्तमान में ईट भट्ठा सीजन ऑफ एवं बन्दी आदेश के अनुपालन में बन्द है।
7. सन्दर्भित ईट भट्ठे का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन–**09CRXPD2742Q1ZW** दिनांक 05.12.2021 के माध्यम से जारी किया गया है।
8. **सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04.06.2022 के माध्यम से रूपये 7,37,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय की गयी है।**
9. भट्ठे स्वामी द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से दिनांक 19.09.2022 को सहमति जल/वायु प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन के साथ जी.एस.टी., बिल सप्लाई, रॉयल्टी चालान, जिला पंचायत की रशीद व वाणिज्यकर जमा के चालान इत्यादि प्रस्तुत किये गये है, जिसे वांछित सूचनाओं के आभाव में अस्वीकृत कर दिया गया है।
10. सन्दर्भित ईट भट्ठे के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ को सम्वोधित Application bearing No. 584/ 25.02.2022 of Sandeep Kumar Regarding llegal brick kiln and pollution. का पत्र रजिस्ट्रार हाईकोर्ट के माध्यम से दिनांक 05.12.2022 को प्रेषित किया गया है।

11. इस कार्यालय द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), अलीगढ़ के पत्रांक–203(2)/डी.एल.आर.सी. दि0 15.12.2022 के अनुपालन में दिनांक 24.12.2022 को उक्त सन्दर्भित ईट भट्ठे का अद्यतन निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा बन्द पाया गया एवं ईट भट्ठे स्वामी द्वारा ईट भट्ठे को जिग–जैग/हाई–ड्राफ्ट पद्धति पर परिवर्तित किये जाने का कार्य होता हुआ पाया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। उक्त के अतिरिक्त भट्ठे पर कच्ची ईटों की मैन्युअली पद्धति पर खुले में भट्ठी बनाकर पकाई हेतु कार्य प्रगति पर पाया गया, परन्तु निरीक्षण के समय पकाई का कार्य नही किया जाता हुआ पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि को जिला प्रशासन के प्रतिनिधि तहसीलदार–अतरौली, अलीगढ़, खनन अधिकारी, अलीगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण के समय निर्देशित किया गया कि खुले में भट्ठी बनाकर कर कच्चे ईट की पकाई का कार्य किसी भी दशा में न किया जायें। निरीक्षण के समय उपस्थित ईट भट्ठा स्वामी द्वारा तत्काल उक्त कार्य को बन्द कर दिया गया एवं यह भी अवगत कराया गया कि कच्ची ईट की खुले में भट्ठी बनाकर पकाई का कार्य पूर्व से स्थापित नैचुरल ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित ईट भट्ठे को जिग–जैग तकनीक में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक ईट के आपूर्ति के लिये अज्ञानता वश किया जा रहा था, जिसको तत्काल बन्द कर दिया गया है। वर्तमान में इस तरह का कोई कार्य नही किया जा रहा है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे को जिग–जैग तकनीक पर परिवर्तित किये जाने का कार्य प्रगति पर पाया गया। ईट भट्ठे की चिमनी पर केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित आकार की प्लेटफार्म, सीढी एवं पोर्टहॉल स्थापित नही पाये गये।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)	(जितेन्द्र कुमार)	(उपेन्द्र प्रसाद)	(अजय कुमार)	(डॉ0 सी0पी0 सिंह)
प्रयोगशाला सहायक	अनुश्रवण सहायक	अवर अभियन्ता	सहा0पर्या0अभियन्ता	क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

(84)

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 2348/AU-578/22

दिनांक 29.12.22

सेवा में

अपर जिलाधिकारी (वि० / रा०)
अलीगढ़।

विषयः–मै० श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम–छौगवां, निकट–सिरसा, थाना–छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि मै0 श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम–छौगवां, निकट–सिरसा, थाना–छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ को बोर्ड से बिना अनापत्ति / सहमति प्राप्त किये भट्ठे की स्थापना / संचालन किये जाने, भट्ठे के विरूद्ध बार–बार जन शिकायत प्राप्त होने तथा ईट भट्ठा स्थापनार्थ जारी गाइडलाइन के विपरीत पाये जाने के अनुक्रम मे बोर्ड मुख्यालय द्वारा ईट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है (छायाप्रति संलग्न–1)। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम द्वारा दिनांक 26.05.2022 को भट्ठा बन्द करा दिया गया था (छायाप्रति संलग्न–2)।

उक्त ईट भट्ठा द्वारा बन्दी आदेश के बावजूद भट्ठा संचालन की शिकायत प्राप्त होने को दृष्टिगत रखते हुई ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 01.06.2022 को कराया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। ईट भट्ठे द्वारा बन्दी आदेश का अनुपालन न करने को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय के पत्र संख्या–711 / ए.यू.–578 / 22 दिनांक 04.06.2022 के माध्यम से रू0 7,37,500 / – की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को की जा चुकी है।

अग्रेतर इस कार्यालय द्वारा आपके पत्रांक–203(2) / डी.एल.आर.सी. दिनांक 15.12.2022 के अनुपालन में दिनांक 25.12.2022 को उक्त सन्दर्भित ईट भट्ठे का अद्यतन निरीक्षण कराया गया। (विस्तृत निरीक्षण आख्या संलग्न है)। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा बन्द पाया गया एवं ईट भट्ठे स्वामी द्वारा ईट भट्ठे को जिग–जैग / हाई–ड्राफ्ट पद्धति पर परिवर्तित किये जाने का कार्य होता हुआ पाया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। उक्त के अतिरिक्त ईट भट्ठा स्वामी द्वारा भट्ठा परिसर के अन्तर्गत कच्ची ईटों को खुले में मैन्युअली तकनीक आधारित भट्ठी में पकाई कार्य प्रगति पर पाया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। साथ ही भट्ठे द्वारा कच्ची ईट पकाई का कार्य भी होता हुआ पाया (फोटोग्राफ संलग्न)।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़।
2. मुख्य प्रदूषण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

कार्यालय पता : जे-१, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड,अलीगढ़-२०२००१
Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001 Phone & Fax : 0571 2743 E-mail : roaligarh@uppcb.

(88)

भट्ठा मै० श्री राम ईंट उद्योग (पूर्वनाम – मै० उडिया बाबा ईंट उद्योग) ग्राम – सौंगवां तहसील अतरौली, जनपद–अलीगढ़ को बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 01.04.22 की अनुपालन आख्या:–

ईट भट्ठा मै० श्री राम ईंट उद्योग (पूर्वनाम – मै० उडिया बाबा ईंट उद्योग) ग्राम – सौंगवां तहसील अतरौली जनपद–अलीगढ़ का संयुक्त निरीक्षण नायब तहसीलदार, अग्निशमन विभाग तहसील – अतरौली जनपद–अलीगढ़, जे० आर० एफ० उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 11.03.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। उक्त ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 01.04.2022 के द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा जिग–जैग तकनीकी / वर्टीकल शापट पद्धति में परिवर्तित नही पाया गया। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–253 / 2021 झम्मनलाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 के अनुक्रम में संदर्भित ईट भट्ठे को अग्निशमन विभाग, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं जिला प्रशासन अतरौली जनपद– अलीगढ़ के सहयोग से ईट भट्ठे में जल डलवाकर उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि बिना अनुमति के ईट भट्ठा का संचालन न किया जाए।

बोधपाल सिंह
ईट भट्ठा प्रतिनिधि
डॉ० बोधपाल सिंह
9759232585

[signature]

[signature]
जे० आर० एफ०
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

[signature]
चालक –
अग्निशमन विभाग
अतरौली, अलीगढ़

[signature]
नायब तहसीलदार
अतरौली
अलीगढ़

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 3218/AU-578/23

दिनांक 21.03.23

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय :– **मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्व नाम–उडिया बाबा ईट उद्योग), ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के बन्दी आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के दिनांक 05.04.2022 के माध्यम से सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया था। उक्त बन्दी के अनुपालन कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, महोदय अलीगढ़ द्वारा संयुक्त कमेटी गठित की गयी थी उक्त कमेटी द्वारा उपरोक्त ईट भट्ठे को दिनांक 17.03.2023 ईट भट्ठा प्रतिनिधि की उपस्थिति में बन्द करा दिया गया है। ईट भट्ठे की बन्दी की अनुपालन आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक :–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 [signature]0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), अलीगढ़।
3. उपजिलाधिकारी, तहसील–अतरौली, अलीगढ़।
4. क्षेत्राधिकारी पुलिस, अतरौली, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त ईट भट्ठे को सम्बन्धित थाना/चौकी इन्चार्ज को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें कि ईट भट्ठे का संचालन पुनः न हो पाये।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

O/C.

(106)

ईट भट्ठा मै0 श्री राम ईट उद्योग ग्राम दौगवां निकट जिरौली धूम डोर्र तहसील अतरौली, जनपद–अलीगढ़ को बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 04/04/2022 की अनुपालन आख्या:–

ईट भट्ठा मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम दौगवां निकट जिरौली धूम डोर्र तहसील अतरौली जनपद–अलीगढ़ का संयुक्त निरीक्षण उपजिलाधिकारी, तहसील अतरौली जनपद–अलीगढ़, [illegible] सहायक पर्यावरण अभियन्ता, [illegible] उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 07/04/23 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री पुष्पेन्द्र (प्रोपराइटर के भतीजे) उपस्थित थे। उक्त ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 04/04/22 के द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा जिग–जैग तकनीकी/वर्टीकल शाफ्ट ~~नैचुरल ड्राफ्ट~~ पद्धति में परिवर्तित ~~नहीं~~ पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा को अग्निशमन विभाग, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, जिला प्रशासन/पुलिस, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के सहयोग से ईट भट्ठे में पानी डलवाकर उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया। उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि बिना अनुमति के ईंट भट्ठे का संचालन न किया जाये।

(के० के० रावत)
जे० आर० एफ०
उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
अलीगढ़

(अजय कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
अलीगढ़

07.04.2023
(सतीश कुमार)
(खान अधिकारी)
अलीगढ़

(भव्या)
उपजिलाधिकारी
अतरौली

Kumar
Puspendra Kumar
(Batla malik Bhatija)
ईट भट्टा प्रतिनिधि

थाना इंचार्ज
अतरौली

(के. पी. सिंह)
इन्सपेक्टर
थाना हर्दुआगंज

ALL Su [illegible]

सेवा में, (107) 07/04/23

क्षेत्रीय अधिकारी
प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड (अलीगढ़)
उ०प्र०।

विषय :- श्रीराम ईंट उद्योग ढौंगवा [illegible] अतरौली (अलीगढ़) के सम्बन्ध में।

महोदय - निवेदन यह है कि मेरी अपर जिला अधिकारी (वि/रा) अलीगढ़ से दिनांक 07.04.23 को ईंट भट्टे को जिग जैग बनाये जाने के सम्बन्ध में बात की गयी। जिसमें उनके द्वारा अवगत किया गया कि यदि आपका भट्टा वर्तमान में जिग-जैग टेक्नोलॉजी में परिवर्तित हो जाता है तो उसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ से टिप्पणी लेकर कराते हुए कार्यालय को सूचित करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि हमारा भट्टा वर्तमान में पूर्णतया से जिग-जैग टेक्नोलॉजी में परिवर्तित किया जा चुका है। उक्त की टिप्पणी अपर जिलाधिकारी (वि/रा) कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

AEE/J.A
07/4/23

[illegible]
07/04/23

प्रार्थिनी
(यानु देवी)
श्रीराम ईंट उद्योग

(108)

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

11/4/23

पत्रांक 84/AU-578/2023 दिनांक 07.04.2023

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि० / रा०),

अलीगढ़ (उ०प्र०)।

विषय– मै० श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै० उड़ियाबाबा ईट उद्योग), ग्राम छौगवां, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि सन्दर्भित ईट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा पत्र दिनांक 07.04.2023 के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि अपर जिलाधिकारी (वि० / रा०), अलीगढ़ द्वारा मेरे ईट भट्ठे के जिग–जैग / हाइड्रा भट्ठे के सम्बन्ध में टिप्पणी चाही गयी है, छायाप्रति संलग्न। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित ईट भट्ठा का निरीक्षण जिला प्रशासन की टीम के साथ दिनांक 07.04.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा जिग–जैग तकनीकी पर स्थापित व संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन की टीम के सहयोग से पानी डलवाकर उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया है।

सूचनार्थ सादर प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

R.O PCB Alg / S.D.M. Atrauli / DLRC
कृ० सतत पर्यवेक्षण करें।

भवदीय

(डा० जे०पी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

ADM(F/R)
10/4/23

12/4/23

12/04/23

14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाय।

15. आवेदन कर्त्ता/ इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों/ आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्त्ता/इकाई पर विधिक प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा 21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैध रहेंगी।

17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाय। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाये।

18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करा दी जायेगी।

19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/ बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण अधिस्थापित अथवा संचालन तथा अन्य सभी सूचनायें वायु नियंत्रण से सम्बन्धित हों, उपलब्ध करानी होगी।

20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।

21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित, किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए, जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

6. बिन्दु 4, 5, एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयत्रों को कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जाये।

7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/ स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।

8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किय जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाय।

9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाय एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के..03.......माह के भीतर प्रस्तुत किया जाय।

(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाय जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाय।

10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषण अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा –29 से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा –29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम 1983 वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।

11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाय।

12. इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैंक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।

13. इकाई द्वारा बोर्ड कर्मचारियों अथवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चिमनी अथवा उक्त अथवा किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त सुविधाओं का प्राविधान किया जाये।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

आगरा

संलग्नक सहमति आदेश संख्या ....244/1/........./सहमति (वायु) आदेश/......97/4..........

दिनांक ....7.2.97..........

सहमति शर्तें

1. फ्लू गैस प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।

(i) समबद्ध चिमनी

(ii) –

(iii) –

(iv) –

(v) –

2. वायुमण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हो।

(i) सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एस0 पी0 एम0) 750 मिलीग्राम प्रतिनार्मल क्यूबिक मीटर

(ii) मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कॉपर आदि) –

(iii) हाइड्रोजन सल्फर डाई आक्साइड, सल्फेट मिस्ट –

(iv) सल्फर डाई आक्साइड –

(v) कार्बन मोनो आक्साइड पी0 पी0 एम0

(vi) हाइड्रो कार्बन –

(vii) अमोनिया –

(viii) फ्लोरीन –

(ix) मरकैप्टेन –

(x)

3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग से प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।

5. बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हों) किया जा सकता है।

फैक्स :
दूरभाष :

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

14, सेक्टर–3 बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना

आगरा–282007

सहमति आदेश पत्र

संख्या 244/17 /सहमति (वायु) आदेश / 97/4 दिनांक 7.2.97

विषय–सहमति मैं० मुकेश कुमार (बी०के०ओ०) नं० 247, ग्राम रामपुर मढ़िया तह० अतरौली जनपद- अलीगढ़

वायु (प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ– आवेदन संख्या शून्य दिनांक 26.12.96

1 वायु अधिनियम के 1981 अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मैं० मुकेश कुमार (बी०के०ओ०) अलीगढ़ को अपने सयन्त्रों से सलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमंडल में उर्त्सजन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2 वायु सहमति दिनांक 7.2.97 से 31.12.97 अवधि तक मान्य है।

3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा, वायु (प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

अनुलग्नक : संलग्न

(सहमति शर्तें)

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure - 57 XIII

07/08/23 (104)

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

अलीगढ़।

विषयः- **मैसर्स श्रीराम ईट उद्योग, (पूर्वनाम मै० सुकेश कुमार बी.के.ओ.), ग्राम छौंगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुडिया, छर्रा, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश के निक्षेप के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में निवेदन है कि बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक ०४.०४.२०२२ के द्वारा मेरे ईट भट्ठे के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है। मेरे ईट भट्ठे को बोर्ड से प्रथम बार सहमति जल/वायु कार्यालय के पत्र दिनांक ०७.०२.१९९७ के माध्यम से दिनांक ३१.१२.१९९७ तक मै० सुकेश कुमार बी.के.ओ के नाम से निर्गत की गयी है (छायाप्रति संलग्न)। मेरे ईट भट्ठे में पोर्टहोल, प्लेटफार्म एवं सीढी इत्यादि स्थापित किये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश दिनांक ०४.०४.२०२२ को निरस्त करने की कृपा करें, जिससे मेरे द्वारा बोर्ड से अग्रिम वर्षो की सहमति जल/वायु प्राप्त कर ईट भटठे का संचालन किया जा सके।

दिनांक - 07-8-23

(signature)

मैसर्स श्रीराम ईट उद्योग,

(मै० सुकेश कुमार बी.के.ओ.)

ग्राम छौगवां, सिरसा रोंड, छर्रा, तहसील अतरौली,

जनपद अलीगढ

प्रतिलिपि- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-४, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

EE/J.E./SDM

07-8-23

(13)

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 1161/AU-578/2023 दिनांक 02-09-2023

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4)
उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषयः–मै0 श्रीराम ईंट उद्योग (पूर्व नाम–मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), ग्राम–छौगवा, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि सन्दर्भित ईंट भट्ठे को मै0 श्रीराम ईंट उद्योग (पूर्व नाम–मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), ग्राम–छौगवा, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच73845 /सी–4/ईंट–904/बन्दी/2022 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किये गये हैं। ईंट भट्ठे द्वारा बन्दी आदेश निक्षेपित कराने हेतु अपना प्रत्यावेदन इस कार्यालय में दिनांक 11.08.2023 को प्राप्त कराया गया। ईंट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश निक्षेपण के सम्बन्ध में आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

कार्यालय पता : जे-१, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड,अलीगढ़-२०२००१ Phone & Fax : 0571 2743521
Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001 E-mail : roaligarh@uppcb.com

(12)

मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्व नाम–मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), ग्राम–छौगवा, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के बन्दी आदेश निक्षेपण के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक सन्दभित ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच73845/सी–4/ईंट–904/बन्दी/2022 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। ईंट भट्ठे द्वारा बन्दी आदेश निक्षेपित कराने हेतु अपना प्रत्यावेदन इस कार्यालय में प्राप्त कराया गया। उक्त ईंट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 11.08.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा बन्दी आदेश के अनुपालन में पूर्णतः बन्द पाया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे को बोर्ड से प्रथम बार सहमति जल/वायु कार्यालय के पत्र दिनांक 07.02.1997 के माध्यम से दिनांक 31.12.1997 तक मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 के नाम से निर्गत की गयी है (छायाप्रति संलग्न)।
2. ईट भट्ठा में कच्चे माल के रूप में बालू, पानी, मिट्टी का प्रयोग कर कच्ची ईट से पक्की ईट पथाई एवं फुकाई प्रक्रिया के माध्यम से लगभग –20,000 ईंट/दिन उत्पादन किया जाता है।
3. ईट भट्ठा के संचालन हेतु ईधन तूरी/कोल लगभग–4.0 टन/दिन प्रयोग किया जाता है। ईट भट्ठा के संचालन से जनित फ्लू गैसों के निस्तारण हेतु भूतल से लगभग–30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा जिग–जैग/हाईड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित पाया गया।
5. ईंट भट्ठा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईंट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है। निरीक्षण के समय कच्ची ईट पथाई का कार्य प्रगति पर पाया गया।
6. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी पर सीढी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल स्थापित पाया गया।
7. ईंट भट्ठा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 07.03.2016 को वर्गीकृत उद्योगों की नारंगी श्रेणी के उद्योगों में सम्मिलित तथा क्रम संख्या 20 पर अंकित है।
9. सन्दर्भित ईट भट्ठे द्वारा जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन–**09CRXPD2742Q1ZW** दिनांक 05.12.2021 के माध्यम से जारी किया गया है, (छायाप्रति संलग्न)।
10. जनपद–अलीगढ़ में स्थित ईंट भट्ठों से प्रदूषण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0–253/2021 झम्मनलाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 में निम्नवत् आदेश पारित किया गया है–

10. Further order of the Hon'ble Supreme Court in the same matter is dated 13.05.2022 inter-alia is as follows:-

"We record the submission of Shri Nidhesh Gupta, learned senior counsel, that, in fact, 95 per cent of the units are making use of agricultural residue also. We would expect that in view of the rather encouraging results revealed from the test conducted at Baghpat, the units will make every attempt to make use of maximum amount of agricultural residue along with coal so that the prospect of the threat to environmental pollution is reduced to the minimum possible.

We further make it clear that the units are permitted to operate only till 30th June, 2022, subject to all the conditions imposed in earlier orders.

We add two conditions for the units to be allowed to operate:

(1) All units will provide platforms for conducting the monitoring of the pollution having minimum dimension of 4 feet by 6 feet.

(2) The diameter of the portholes in all the units shall be not less than 4-5 inches diameter.

10. We further direct that in all the units portholes must be of the size we have indicated. Surprise inspections as envisaged in the earlier orders are to be continuously conducted with utmost vigour and action in terms of the inspections conducted shall be taken by the appropriate authority.

We further direct that in all the units portholes must be of the size we have indicated. Surprise inspections as envisaged in the earlier orders are to be continuously conducted with utmost vigour and action in terms of the inspections conducted shall be taken by the appropriate authority."

11. Even though the orders of the Hon'ble Supreme Court are in relation to NCR, District Aligarh being close to NCR and having regard to air quality of Aligarh, the said directions will apply in relation to operation of brick kilns in Aligarh District also. As observed earlier, only those brick kilns be allowed to operate whose location is as per siting norms, those who have requisite consents and compliance with terms of consent and compatible with the assimilative air quality of the area.

उपरोक्त के अतिरिक्त पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन G.S.R.143(E) दिनांक 22 फरवरी, 2022 में जिग–जैग टेक्नॉलोजी के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान किये गये है–

1. All new brick kilns shall be allowed only with zig-zag technology or vertical shaft or use of piped natural Gas as Fuel in brick making and shall comply to these standards as stipulated in this notification.
2. The existing brick kiln which are not following zig-zag technology or vertical shaft or use piped Natural Gas as fuel in brick making shall be converted to zig-zag technology or vertical shaft or use piped Natural Gas as fuel in brick making within a period of (a) one year in case of kilns located within ten kilometer radius of nonattainment cities as defined by Central Pollution Control Board (b) two years for other areas. Further, in cases where central Pollution Control Board/State Pollution Control Board/ Pollution Control Committees has separately laid down timelines for conversion such orders shall prevail.

उपरोक्त के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच80662 दिनांक 02.09.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि चूंकि पूर्व में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में स्थापित ईंट भट्ठों में जिग–जैग व्यवस्था स्थापित करने के निर्देशत पारित किये गये थे। अतः वर्तमान में राज्य बोर्ड स्तर से जिग–जैग व्यवस्था स्थापित करने हेतु पृथक से समय प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है तथा एन0सी0आर0 क्षेत्र में स्थापित ईंट भट्ठों के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों का भी संज्ञान लेने हेतु अवगत कराया गया है।

सन्दर्भित ईंट भट्ठा मै0 सुकेश कुमार बी.के.ओ. के नाम से ग्राम–छौगवा, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ में 27 जून, 2012 के पूर्व से स्थापित एवं संचालित है। ईंट भट्ठे पर जिला पंचायत की गाइडलाइन / उपविधियों के अनुरूप है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0–253 / 2021 झम्मनलाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 एवं पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन G.S.R.143(E) दिनांक 22 फरवरी, 2022 में जिग–जैग टेक्नॉलोजी के सम्बन्ध में पारित आदेश को संज्ञानित करते हुए बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच73845 / सी–4 / ईंट–904 / बन्दी / 2022 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से जारी बन्दी आदेश को नियमानुसार निक्षेपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

RO

Annexure- XV 61

(9) (120) (4)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ संख्या : H00816 /सी–4/ईट–904/निक्षेप/2023. दिनांक : 15-9-23

सेवा में,

मै0 श्री राम ईट उद्योग (पूर्व नाम–मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0),
ग्राम–छौगवा, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़।

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश निक्षेपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

बोर्ड के पत्रांक–एच73845/सी–4/ईट–904/बन्दी/2022, दिनांक 04.04.2022 द्वारा मै0 श्री राम ईट उद्योग (पूर्व नाम–मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), ग्राम–छौगवा, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया था। क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक–1161/एयू–578/2023, दिनांक 02.09.2023 के माध्यम से प्रेषित निरीक्षण आख्या में संदर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश को सशर्त निक्षेपित किये जाने की आख्या प्रेषित की गई है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 02.09.2023 के अनुक्रम में संदर्भित ईट भट्ठे को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी बंदी आदेश दिनांक 04.04.2022 को निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन की बाध्यता के अधीन सशर्त निक्षेप किया जाता है :–

1. ईट भट्ठे द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–जी0एस0आर0 143(इ), दिनांक 22.02.2022 के निर्देशों का समयबद्ध अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. ईट भट्ठे का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करने के पश्चात ही किया जाये।
3. यह बन्दी निक्षेप आदेश संदर्भित ईट भट्टा के स्थल हेतु प्रभावी स्थल गाइडलाइन के अनुरूप होने की दशा में ही मान्य होगा।
4. ईट भट्ठे में स्थापित चिमनी से उत्सर्जन की अनुश्रवण आख्या उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला/मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर ईट भट्ठा संचालित होने पर विलम्बतम् 15 दिन के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इस हेतु चिमनी पर मॉनिटरिंग किये जाने हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चत की जाये।
5. ईट भट्ठा द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 स0–253/2021 झम्मनलाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
6. ईट भट्ठा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल डायरी सं0–18213/2021 में समय–समय पर पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों एवं गाईड लाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. ईट भट्ठा परिसर में कच्चे माल एवं ईटों की ढुलाई हेतु प्रयुक्त होने वाले मार्ग को पक्का अथवा ब्रिकलाइण्ड किया जाये ताकि ईट भट्ठा परिसर के अन्दर वाहनों के आवागमन के कारण फ्यूजिटिव डस्ट का उत्सर्जन न हो।
9. यदि ईट भट्ठे के विरूद्ध किसी प्रकार की वायु प्रदूषण संबंधी शिकायत प्राप्त होती है तो शिकायत के जांचोंपरान्त नियमानुसार वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
10. मा0 न्यायालयों तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का अनुपालन तथा पर्यावरणीय अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
11. ईट भट्ठे द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/नीरी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
12. ईट भट्ठे द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में प्रतिबन्धित ईंधन का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
13. ईट भट्ठे के चारों तरफ सघन वृक्षारोपण मियाँवाकी पद्धति के अनुसार सुनिश्चित किया जाये।
14. यदि ईट भट्ठे द्वारा बन्दी आदेश निक्षेपण के उपरान्त सहमति प्राप्त नहीं की जाती है तो उस दशा में बन्दी आदेश पुनः प्रभावी हो जायेगा।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रभारी खनन अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अलीगढ़ को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित करने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत ईट भट्ठे को सहमति (जल/वायु) स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थल उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए ईट भट्ठा संचालन से स्थानीय आबादी एवं आम इत्यादि के बाग को कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने की कोई सम्भावना न रहे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी.–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC-12V., Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

(118)

FORM 1
CONSOLIDATED CONSENT & AUTHORIZATION

Application for consent for discharge/continuation of discharge under section 25/26 of the Water (Prevention and Control of Pollution)Act ,1974 and for emissions/continuation of emission under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and for grant/renewal of authorisation for generation or collection or storage or transport or reception or recycling or reuse or recovery or pre-processing or co-processing or utilisation or treatment or disposal of hazardous and other waste under Hazardous and other waste (Management and Transboundary Movement) Rules 2016 read with Environment (Protection) Act 1986.

From ,

M/s SHRI RAM EINT UDHYOG (OLD NAME SUKESH KUMAR BKO), VILL. CHHAUGAWA, SIRSA ROAD, RAMPUR MUDIA, CHHARRA, TAHSIL ATROULI, DISTT. ALIGARH,ALIGARH,
City:CHHAUGAWA
Block:Atrauli
District:ALIGARH

Dated
17/09/2023

To ,
The Member Secretary,
U. P. Pollution Control Board,
Lucknow.

Sir,

I/We apply for Consolidated Consent to Operate and Authorization under section 25/26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, under Section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules 2016 noted under Environment (Protection) Act 1986 to make discharge/emission/disposal of hazardous and other waste from

RANI DEVI for a period upto 1 years

2. The annexure, appendices other particulars and plans in triplicate are attached herewith.
3. I/We further declare that the information furnished in the Annexure, appendices and plans is correct to the best of my/our knowledge.
4. I/We hereby submit that in case of change either of the point or the quantity of discharge or its quality, a fresh application for CONSENT shall be made and until such CONSENT is granted no change shall be made
5. I /We hereby agree to submit to the Board and application for renewal of consent one month in advance of the date of expiry of the consent period
6. I/We undertake to furnish other information within one month of its being called by the Board.

Accompaniments:-

Yours faithfully,

Signature

Name of the applicant: RANI DEVI

Address of the Applicant: VILL. CHHAUGAWA, SIRSA ROAD, RAMPUR MUDIA, CHHARRA, TAHSIL ATROULI, DISTT. ALIGARH

(17)

ANNEXURE TO FORM

New Outlet

NOTE- Any applicant knowingly giving incorrect information or suppressing any information pertaining thereto shall be liable to be punished under the Act.

While filling this Annexure the applicant not concerned with any of the item shall state 'No concerned' against the relevant one:

7. Is the industry/factory for which application is made closed on Sunday/Holiday — No
8. State working days per year and working season for the industry/factory — Mar to Jun
9. a) Number of workers attending the factory shift wise &/ or per day : — 30

   b) Number of workers residing in the premises : — 20
10. For local bodies only:-
    a) Present population : NA.
    b) Population covered under regular sewer facilities : N.A
    c) population having septic tank/Soak pit facilities : N.A
    d) Population covered by conservancy latrines : N.A.
11. For Industries Only:-

    A. Give the list of raw materials

Raw Material Name	Material Trade Name	Qty	Principle Use
MUD & WATER	MUD & WATER	20000	MIXING

Fuel Details:-

Fuel	Consumption
Others	3

B. Give the list Products and By Product Details

Product Name	Quantity
BRICK	20000

ByProduct Name	Licence Qty	Installed Qty
N.A.	0	0

C. Give the list of possible Inter-mediate Products:

Name of Product	Quantity per month
0	0

Section A

12. State daily quantity of water utilized :

Source Consumption	Quantity
Domestic	2.0
Industrial	3.0

13. A) State the hourly maximum and daily quantity of effluents arising from land/premises for which the application is made:

Generation	Waste Water Generation Quantity
Domestic	1.6
Industrial	0.0

(B) State how measurement of rate and quantity are carried out: --

14. State whether storm water drains are kept separate from Industrial / Domestic Effluents? Yes

15. (a)Is domestic effluent allowed to get mixed in industrial effluents? No

16. (a)Describe if any treatment industrial or domestic effluent or one for combined effluent is made. Yes

If yes, state the process of treatment in brief --

(b)Is the quantity of effluent emanating either without or after treatment approved by the authority? Yes

(c)If approved, furnish the authority (Two certified copies to be sent)

(d)If any effluent from any shop/ shops toxic? If so volume of this effluent --

17. Is there any provision for disposal ?

Name	Status (Already made)	Status (proposed to)
Domestic effluent in the underground strata	Yes	No

18. State the area of land used for
(a)Above in Hectares

19. Give the quantitative disposal of effluent in liters provided for the places mentioned below

Name	Mode	Mixed

20. Is there any provision for equalizing or made holding lagoons of tanks

Name	Mode
Domestic	1.6
Industrial	0.0

21. Is sufficient land available / can be made available? In case pumping effluent: on lands have to considered. Yes

22. (a)Give details of composition of Domestic / Industrial / Combined effluent in respect of the Following

Name of Effluent	Effluent before treatment	Effluent after treatment

Note:-

1) Furnish a copy of the analysis report of representative samples carried out by a competent laboratory

2) Methods of determination as approved by the Board will be followed for determination of above mentioned parameters.

(b)Is the effluent toxic No

(116)

(c)State if the Industrial effluent is having — Unpleasant Smell

(d)Is there any hidden change of temperature exceeding 10*c at any time — Yes

23. (a)Are facilities available with the applicant for carrying out the following test of the waste waters

Name	Existing	Proposed

(b)If yes, give details of equipments — BRICK KILN CHANGE IN HYDRA TECHNIQUE. GREEN BELT DEVELOPED AROUND THE SITE.

24. Has the land/premises, etc., for which the application is made open? — Yes

Highly polluting material : — NO

Toxic Organic Inorganic Microbilogical : — Cooling Tank

25. State details for solid waste

Type of Solid Waste	Composition	Quantity	Method of Collection	Method of Disposal

Section A

New

12. Fuel Consumption in Tonnes/day

Fuel Name	Daily Comsumption(T/day)	Unit	Calorific value	Ash contents	Sulphur contents	Others
WOOD & COAL	3	Metric Tonnes/Day	0	0	0	0

13. Atmospheric Emission from each stack

Total no. of stacks:	1
Material for construction of Stack:	BRICK ETC. ,
Stack Attached to:	Hot Air Generator ,
Height above ground level(in metres):	35 ,
Height above roof(in metres):	25 ,
Stack Top:	Round ,
Inner dimensions (in meters):	0.0 ,
Gas quantity-m^3/hr:	0.0 ,
Flue gas temperature 'C:	0.0 ,
Exit velocity of gas/sec:	0.0 ,

(a) Flue gas emission

Stack No.	Type of fuel	Quantity of fuel/hr	Type of firing	So2	Nox	CO/HC	Particulates	Others
1	WOOD & COAL	3						

(b) Process Emission

Quantity of gas (in Nm^3/hr)	So2	Co2	Analysis of vent hydrocarbons	Particulates in mg/Nm3	Other Specify

(c) Particulate analysis :

(d) Chemical Composition(if available) :

14. Give details of flue gas sampling arrangements : --

15. Give details of laboratory facilities available for analysis of emission : --

16. Is there sufficient space available for installing air pollution control equipment :

17. Details of Air Pollution :-

Stack Name	Equipment Name	State

18. State the total quantity of air handled by ventilation equipments,specify size and no.of equipments, installed or to be installed

Equipment Name	Equipment Size	No. of equipments	Status

19. Give the following details

(a) Total investment in the factory and the year of investment. : Investment:-AS PER BALANCE SHEET Year of Investment is :-2023

(b) The estimated expenditure for implementation of the scheme to control air pollution :--

(c) Expenditure incurred to update progress achieved(physical) for air pollution control, if any, and the year/years of investment along with physical progress achieved. The firm should give details of action taken to date and the expenditure incurred and the time required for the scheme. :

(d) Annual operation and maintenance-cost of Air Pollution Control Plant, if any :

(e) Further action that is being taken up by the firm to control air pollution. :

20. Other relevent information, if any : --

Signature

Name and Address of the applicant on behalf of : RANI DEVI ,VILL. CHHAUGAWA, SIRSA ROAD, RAMPUR MUDIA, CHHARRA, TAHSIL ATROULI, DISTT. ALIGARH

Explanatory Notes for filing in form and the Annexure .

The notes are given only for those items for which explanations is considered desirable .

Form-

1. Here mention the name of the owner of the land/premises, if other than the applicant industry or factory in continuation of legal business as per Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981. If the land/premises belongs to the factory/ industry, say self

2. Here mention the date up to which the consent is sought for.

Annexure to form-

'Existing 'means that which is operation at the time of applying for consent .

'New' that which has been modified due to change in quantity and/or quality of emission.

'Altered' means that which has been modified due to change in quantity and/or quality of discharge arrangement and/or point of discharge etc.

Item 1 : Here mention name of the owner of the land/premises if other than the applicant industry or factory in continuation of of legal busines as per Air (Prevention and Control of Polution) Act ,1981 if land/premises belong to the factory/industry say self .

Item 1(a) : The industrtes are categorised based on the investment as follows : Major industry- having investment of more than 2 crores. Medium industry- having investment of 10 lakhs to 2 crores.Small scale industry having investment of less than 10 lakhs rupees

In place of above criteria kindly give category as per latest notification

Item 2 : Here give the registered name of the industry/institution factory/local bodies etc under which the business is carried out.

Item 6 : Applicable to only those are as which are prohibited areas such astheOrdinance Factories, Mint, etc.

Item 10(c) : Here State the temperature in C in summer winter monsoon and post monsoon seas on.

Item 10(d) : Here state the seasonal average wind direction and speed in and around the site of the plant. The above information can be had from representative Meterological centre .

Item 13 : Analysis of the flue gas emission, process emission and particulars analysis should be done for each stack, emissions. Where ever stacks are not provided the shop floor specific concentration should be reported . Chemical Analysis of particulars matter in the emission should be furnished giving details such as organic matter ,metals ,non-metals , redioactive, substances, asbastos, silicates etc.

Item 17 : Here mention the detailed specifications of control system used or proposed to be used with efflciency . Also furnish ihe layout of the control system with dimensions.

Item 18 : Here state the total quantity of ventilation air handled by equipments' such as roof extractors, Evaporative coolers etc

Additional Documents suggested for submission:

1 : Separate Demand Draft towards consent fee Water & Air .

2 : Annual Report or certificate frorn Chartered Accountants in support of fixed assets,current assets and current liabilities .

3 : Layout plan showing the location of stacks (chimneys), effluent treatment plant, effluent disposal areas,

115

Name and Address of the Firm on behalf of which application is made : RANI DEVI ,VILL. CHHAUGAWA, SIRSA ROAD, RAMPUR MUDIA, CHHARRA, TAHSIL ATROULI, DISTT. ALIGARH

(11)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शपथ–पत्र

GL 124702

NOTARY KRISHANKANT ADVOCATE COLLECTORATE ALIGARH (U.P.) REGN. No.9527 Govt. Of India

समक्ष : श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अलीगढ़।

मै0 रानी देवी पत्नी श्री बोधपाल सिंह, फर्म की प्रोपराइटर हूँ, मेरा स्थायी मूल निवासी ग्राम–सिरसा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ है। उक्त फर्म के सम्बन्ध में निम्न बयान करता हूँ:–

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है।
2. यह कि मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0–सुकेश कुमार बी0के0ओ0), गाटा संख्या–290, 247, ग्राम–छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ पर स्थापित/संचालित है। मैं स्वयं उक्त ईट भट्ठे की प्रोपराईटर हूँ।
3. यह कि हमारा ईट भट्ठा जिग–जैग/हाई ड्रापट पद्धति स्थापित है।, ईंट भट्ठे की चिमनी की ऊँचाई लगभग 30 मीटर है। चिमनी पर धुऐं की जाँच हेतु 4x6 फीट साइज का प्लेटफार्म, प्लेटफार्म से 4 फीट ऊँचाई पर 4 इंच व्यास का पाइप के साथ प्लेटफार्म से सम्बद्ध सीढी पर्याप्त आकार की स्थापित है।
4. यह कि भट्ठे के ट्रंच के चारों तरफ पक्का खण्डजा/पक्का रास्ता 15 फीट से अधिक चौड़ाई में भट्ठा संचालन से पूर्व कर लिया जायेगा।
5. यह कि भट्ठे की चारों तरफ सघन वृक्षारोपण/हरित पट्टिका विकसित है और अधिक विकसित की जायेगी।
6. यह कि भट्ठा संचालन के एक माह के अन्तर्गत चिमनी की धुऐं की जाँच रिपोर्ट आपके विभाग से भुगतान पद्धति पर कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायेगी।
7. यह कि भट्ठा संचालन के दौरान लोडिंग/अनलोड़िग प्रक्रिया से जनित फ्यूजिटिव इंमीसंस के नियन्त्रण हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा।
8. यह कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मा0 अन्य न्यायालय तथा सी0पी0सी0बी0/एम0ओ0ई0एफ0/यू0पी0पी0सी0बी0, शासन एवं प्रशासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश/पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

NOTARY KRISHANKANT ADVOCATE COLLECTORATE ALIGARH (U.P.) Govt. Of India

KRISHANKANT
NOTARY (Advocate)
Collectorate Aligarh (U.P.)

(121)

9. यह कि मेरी फर्म मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0–सुकेश कुमार बी0के0ओ0), गाटा संख्या–290, 247, ग्राम–छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ के जमीन मालिक है। हमारे द्वारा मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0–सुकेश कुमार बी0के0ओ0), गाटा संख्या–290, 247, ग्राम–छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ के नाम से संचालित किया जायेगा। जिसका साक्ष्य के रूप में जी.एस.टी. प्रमाण–पत्र प्रमाण के रूप में संलग्न है। उक्त गाटा/खसरा संख्या पर पूर्व से स्थापित व संचालित ईट भट्ठा मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0–सुकेश कुमार बी0के0ओ0), गाटा संख्या–290, 247, ग्राम–छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ से सम्बन्धित सम्पत्ति/किरायानामा /सम्पत्ति मालिक से सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई विवाद किसी भी न्यायालय में लम्बित नही है।

10. यह कि हमारे द्वारा ईट भट्ठे की जल/वायु सहमति प्राप्त के समय किसी प्रकार के तथ्य को नही छिपाया गया है। यदि ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा किसी तथ्य को छिपाया गया हो, तो मेरा सहमति जल/वायु को निरस्त कर दिया जाये। जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं का मेरा होगा।

11. यह कि हमारे ईट भट्ठे द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–253/2021 झम्मन लाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ अथवा अन्य जांच संयुक्त समिति द्वारा औचक निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों के विरूद्ध बोर्ड अथवा जांच संयुक्त समिति द्वारा की गयी किसी भी प्रकार की कार्यवाही का उत्तरदायित्व स्वयं हमारा होगा।

12. यह कि मेरे द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार ईट भट्ठो को संचालित किए जाने से पूर्व जिग–जैग/हाईड्राफ्ट पद्धति पर तीन माह के अन्तर्गत परिवर्तित कर लिया जायेगा। यह कि प्रस्तुत किए जा रहे शपथ पत्र के अनुसार यदि मेरे द्वारा ईट भट्ठा संचालन से पूर्व ईट भट्ठे को जिग–जैग/हाइड्राफ्ट पद्धति पर परिवर्तित नहीं किया जाता है, तो विभाग को पूर्ण अधिकार है कि मेरे ईट भट्ठे को जारी सहमति जल/वायु को निरस्त कर दिया जाये।

यह कि मा0 एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 संख्या–253/2021 झम्मन लाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा अपने ईट भट्ठे का संचालन माह 01 मार्च से माह 30 जून के मध्य किया जायेगा। माह मार्च के पूर्व ईट भट्ठा संचालन किये जाने की दशा में मेरे ईट भट्ठे के विरूद्ध आपके विभाग द्वारा की गयी किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

यदि उपरोक्त के सम्बन्ध में भविष्य में संज्ञानित होता है, तो उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ कार्यालय दोषी नही होगा, इसका समस्त उत्तरदायित्व मेरा स्वयं का होगा।

NOTARY KRISHANKANT ADVOCATE COLLECTORATE ALIGARH (U.P.) REGN. No.9527 Govt. Of India

सत्यापनः–

शपथ पत्र के पैरा 01 लगायत 13 मेरे निजी ज्ञान व जानकारी के अनुसार सत्य एवं इसमें कोई तथ्य छिपाया नही गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांकः:

शपथकर्ता

रानी देवी

affirmed before me
By Rani Devi
identified By
Who have been heard the contents
here of Admitted the same to be
correct

KRISHANKANT
NOTARY (Advocate)
Collectorate Aligarh

श्री राम ईंट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), ग्राम–छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुडिया, छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के सहमति जल एवं वायु आवेदन पत्र के सम्बन्ध में आख्या। ख0नं0 247

उपरोक्त ईंट भट्टे का आनलाइन आवेदन दिनांक 18.09.2023 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसके संदर्भ में सन्दर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18.09.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री बोधपाल सिंह उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा जिग–जैग / हाई ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित एवं सीजन ऑफ होने के कारण बन्द पाया गया।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे को कार्यालय के पत्र दिनांक 07.02.1997 के माध्यम से दिनांक 31.12.1997 तक सहमति जल / वायु निर्गत किया गया है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे की उत्पादन क्षमता–20,000 ईंट / दिन का है। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया।
4. ईट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं पकाई आदि प्रक्रिया द्वारा ईंट का उत्पादन किया जाना है।
5. ईंट भट्ठा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईंट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है।
6. ईंट भट्ठे में उत्पादन प्रक्रिया से औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है। मात्र घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है, जिसके निस्तारण हेतु सैप्टिक टैंक / सोकपिट की स्थापना की गयी है।
7. ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग 3.0 मी.टन / दिन किया जाता है। ईंट भट्ठे में कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है। निरीक्षण के समय चिमनी पर पोर्टहोल प्लेटफार्म, सीढ़ी की व्यवस्था स्थापित पायी गयी।
8. ईंट भट्ठा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 07.03.2016 को वर्गीकृत उद्योगों की नारंगी श्रेणी के उद्योगों में सम्मिलित तथा क्रम संख्या 20 पर अंकित है।
9. निरीक्षण के समय उपस्थित ईंट भटठा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि ईंट भट्ठे प्रत्येक घाटी पर कच्ची ईंट भराई एवं पक्की ईंट निकासी हेतु लगभग–15 फीट चोडी कच्ची सडक पर वाहनों के आवागमन से उत्सर्जित धूल / डस्ट के नियंत्रण हेतु ब्रिक निर्मित सडक में परिवर्तित आगामी फुकाई सत्र से पूर्व कर लिया जाये।
10. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक फुकाई सत्र में चिमनी से जनित फ्लू गैसों का स्टैक मानीटरिंग रिपोर्ट बोर्ड से मान्यता प्राप्त एन0ए0बी0एल0 एक्रीकेटेड प्रयोगशाला से कराकर कार्यालय में प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
11. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि परिवेशीय वायु गुणता बनाये रखने हेतु बोर्ड मानको के अनुरूप ग्रीन वेल्ट विकसित किया जाये अथवा चारों तरफ लगभग–3 मीटर ऊँची पक्की बाउण्ड्री का निर्माण किया जाये।
12. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि ईंट भट्ठा संचालन के विभिन्न प्रक्रिया में उत्सर्जित धूल / डस्ट के नियंत्रण हेतु पानी छिडकाव की उचित व्यवस्था स्थापित की जाये।
13. ईंट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–73845 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया था। ईंट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा बन्दी आदेश निक्षेपण हेतु अपना प्रत्यावेदन इस कार्यालय में प्राप्त कराया गया था। ईंट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश निक्षेपित किये जाने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या–1161 दिनांक 02.09.2023 के माध्यम से आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी। तत्पश्चात् बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच00816 दिनांक 15.09.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश को निक्षेपित किया गया है।
13. वर्तमान में ईंट भट्ठा द्वारा सहमति जल / वायु के मद में रू0 1500=00 एवं 27000=00 तथा अवशेष शुल्क–10,000=00 (UTR No.328223937476 dated 09.10.23) तथा जल उपकर रू0 12,000=00 (UTR No.328207427644 dated 09.10.2023) आनलाइन के माध्यम से किया गया है। कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे द्वारा आगामी 05 वर्ष हेतु शुल्क उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त दृष्टिगत रखते हुए सहमति की दशा में ईंट भट्ठे निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के साथ दिनांक 30.06.2028 तक सहमति जल / वायु निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आदेश हेतु सादर प्रस्तुत है–

1. ईट भट्ठा को जारी सहमति जल/वायु में आरोपित शर्तो का अक्षरशः अनुपालन किया जाये तथा अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर कार्यालय में प्रेषित की जाये।
2. ईट भट्ठा द्वारा भूगर्भीय जल के दोहन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं विनियमन नियम, 2020 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर तीन माह के अन्दर कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. ईट भट्ठा द्वारा जिला पंचायत से लाइसेंस एवं खनन विभाग से अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त कर तीन माह के भीतर कार्यालय में प्रेषित किया जायें।
4. ईट भट्ठा द्वारा घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सोकपिट/सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जाये। किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण बिना शोधन के न किया जाये।
6. परिवेशीय वायु गुणता बनाये रखने हेतु ईट भट्ठा द्वारा बोर्ड मानकों के अनुरूप ग्रीन वेल्ट विकसित किया जाये तथा वाउण्ड्री वाल का निर्माण किया जाये।
7. ईट भट्ठे द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं मा0 उच्च न्यायालय तथा सी0पी0सी0बी0, एस0पी0सी0बी0 द्वारा जारी किसी भी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. ईट भट्ठा द्वारा किसी भी दशा में प्रतिबन्धित ईंधन का प्रयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जाये।
9. ईंट भट्ठे द्वारा सहमति जल/वायु के मद में शुल्क के सम्बन्ध में कोई देयता बनती है तो ईट भट्ठा द्वारा देय होगा।
10. ईट भट्ठा के विरूद्ध गाइड लाइन के सम्बन्ध में एवं ईट भट्ठा के विरूद्ध जन शिकायत प्राप्त होने पर एवं उसकी पुष्टि होने पर यह सहमति जल/वायु स्वतः खण्डित समझी जायेगी।
11. ईंट भट्ठा द्वारा प्रत्येक वर्ष संचालन सत्र में स्टैक मानिटरिंग मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर कार्यालय में प्रेषित किया जाये।
12. ईट भट्ठो को जारी सहमति जल/वायु माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–253/2021 झम्मन लाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश के अधीन होगी।
13. ईट भट्ठा द्वारा आगामी फुकाई सत्र में ईंट भट्ठे का संचालन माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–253/2021 झम्मन लाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश का अक्षरशः अनुपालन करने के उपरान्त ही संचालित किया जाये।
14. ईंट भट्ठे के घाटीयों के चारो तरफ वाहनों के आवागमन से जनित धूल के नियंत्रण हेतु चारो तरफ 15 फीट चौडी ब्रिक्स निर्मित सडक आगामी फुकाई सत्र से पहले स्थापित किया जाना सुनिश्चित करें।
15 ईंट भट्ठे द्वारा शपथ पत्र में दी गयी समस्त वचनवद्धता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
16 ईट भट्ठा संचालन के विभिन्न प्रक्रिया में उत्सर्जित धूल/डस्ट के नियंत्रण हेतु पानी छिडकाव की उचित व्यवस्था स्थापित की जाये।
17 ईट भट्ठे द्वारा मा0 उच्च न्यायलय में दायार कन्टेम्कट एप्लीकेशन (सिविल) संख्या–6897/2022 में पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
18 ईट भट्ठा स्वामी द्वारा सहमति (जल/वायु) की वर्ष–1998 की छायाप्रति उलब्ध कराई गई है। सहमति (जल/वायु) की मूलप्रति दो माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दृष्टि में वर्तमान में प्राप्त सहमति (जल/वायु) खण्डित समझी जायेगी।
19. ईट भट्ठा स्वामी द्वारा दिनांक 19.09.2023 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त कराये गये शपथ पत्र में अंकित सभी बिन्दुओं/वचनवद्धता का अक्षरशः अनुपालन ईट भट्ठा संचालन से पूर्व सुनिश्चित किया जाये।
20. ईट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच93899 दिनांक 19.05.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 7,37,500/– अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। यदि उक्त धनराधि रू 7,37,500/– यदि अधिरोपित की जाती है। तो उक्त को जमा न करने पर जारी सहमति जल/वायु रिवोक/खण्डित समझी जायेगी।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

Uttar Pradesh Pollution Control Board
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

193199/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/both/ALIGARH/2023 **Date: 09/10/2023**

To,

M/s

M/s SHRI RAM EINT UDHYOG (OLD NAME SUKESH KUMAR BKO)

VILL. CHHAUGAWA, SIRSA ROAD, RAMPUR MUDIA, CHHARRA, TAHSIL ATROULI, DISTT. ALIGARH,ALIGARH,

Application Id-22836921

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

CCA is hereby granted to **M/s SHRI RAM EINT UDHYOG (OLD NAME SUKESH KUMAR BKO)** located at **VILL. CHHAUGAWA, SIRSA ROAD, RAMPUR MUDIA, CHHARRA, TAHSIL ATROULI, DISTT. ALIGARH,ALIGARH,**. subject to the provisions of **the Water Act, Air Act** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA M/s SHRI RAM EINT UDHYOG (OLD NAME SUKESH KUMAR BKO) **granted for the period from 18/09/2023 to 30/06/2028** and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	BRICKS	20000	Numbers/Day

2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Domestic	1.6	Septic Tank	

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.
In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.
(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

Industrial Effluent Quality Standard

S.No.	Parameter	Standard

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality.In case of stoppage of functioning of STP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards

3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
1	STACK	COAL & WOOD	01	Particulate Matter	30 Meter

Emmission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-

(i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.

(ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.

5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.

8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated Industial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.
7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

Specific Conditions:-

On the basis of observations made in Inspection report dated 18.09.2023 of for this consent to operate is granted for M/s Shri Ram Ent Udhyog, (Old Name M/s Sukesh Kumar B.K.O.), Vill. Chhaugawan, Sirsa Road, Rampur Mudia, Chharra, Tahsil Atrauli, Distt. Aligarh. Recommended for grant of conditional consent (Water & Air) for valid upto period of dated 30.06.2028 for manufacturing 20,000 Bricks/Day with following special conditions :-

1. This consent M/s Shri Ram Ent Udhyog, (Old Name M/s Sukesh Kumar B.K.O.), Vill. Chhaugawan, Sirsa Road, Rampur Mudia, Chharra, Tahsil Atrauli, Distt. Aligarh.
2. This consent is depend on order of Hon;ble National Green Tribunal O.A. No. 253/2021, in which it is mandatory that order of the Hon;ble Supreme Court/High Court/Nation Green Tribunal orders passed for NCR Region will also be applicable for Brick Kilns for District Aligarh. Owners of the Brick Kilns shall insure to comply the every point of the said order. Otherwise this consent shall be assumed as revoked or

cancelled.

3. Owner of the Brick Kiln shall ensure the all the commitments made in notarized affidavit, in which he has committed that I/We will make/convert the ordinary the Brick Kilns to Zig-Zag/Hydra technology within the three months from the date of issued the consent before operation of the Brick Kilns.

4. Brick Kiln shall be operated in such a manner that ambient air quality should not be adversely affected the surrounding environment by the fugitive emissions emitted during brick kiln operational/processing period. Brick Kiln owner shall provide/may pacca Road,/Khadanja around the trench as well as within premises of the Brick Kiln and also installed/provide the water sprinkling systems as water sprinkler stand post to suppress/mitigate the dust emissions.

5. The brick kiln must ensure full compliance of prescribed emission standards as notified by Ministry of Environment and forest, Government of India via serial no. 74 of Schedule-I in notification no. GSR 543(E) dated 22.07.2009 issued under Environment (Protection) Rules, 1986.

6. Brick Kiln shall ensure adequate plantation and green belt within the premises.

7. This consent is valid only for product, products capacity and quantity mentioned above.

8. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/process /fuel/plant machinery. Failing which consent would be deemed void.

9. Brick Kiln shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.

10. Brick kiln is directed to fully comply the conditions mention in environmental clearance issued by District Level Environment impact Assessment Authority and obtained the E.C. from District Level Environment impact Assessment Authority before the operational of Brick Kiln.

11. Brick kiln shall not use hazardous waste like spent organic solvent, oily residue, pet coke, filter press cake, and other wastes like plastic, rubber, leather cutting etc. shall not be used as fuel.

12. Brick kiln shall provide permission to this office issued by Zila Panchayat and Mining Department within three month from date of issue of this consent to operate.

13. The brick kiln should comply the notification issued under the Environment (Protection) Act., 1986.

14. The brick kiln should installed lighting arrestor as per the PWD norms or any other standard design for brick kiln to avoid the damage to stack caused due to lighting attack.

15. Brick kiln should submitted the compliance report of this consent order to this office within one months.

16. Ash content should be used for low lying land filling in a scientific manner.

17. Brick Kiln should be change her Brick kiln in Zig-Zag/Hydra technique before running season & compliance the order of Hon'ble NGT.

18. Brick Kiln cannot operate without change the Brick Kiln in Zig-Zag/Hydra technique .

19. Brick Kiln should obtain NOC for ground water from Ground Water Authority and sent the NOC copy to this office within 3 month.

20. Brick Kiln Shall be Complying of condition of Environment Clearance issued DEIAA.

21. Brick Kiln shall be pay any dues regarding Air & Water Fees.

22. Brick Kiln shall be sent Stack Monitoring Report in running session.

23. Brick Kiln should be operate after the compliance of order of O.A. No. 253/2021 Hon'ble NGT.

24. Its consent (Water/Air) is depend on the order of Hon'ble NGT in the O.A. No. 253/2021.

25. Brick kiln installed the water sprinkler system for the controlling of dust.

26. Its consent (Water/Air) is depend on the order of Hon'ble NGT in the Contempt Application (Civil) No. 6897/2022.

27. Show Cause notice dt. 19.05.2023 issued by H.O. against its brick kiln for the E.C. of Rs. 7,37,500.00. If its show cause notice approved with E.C. by the H.O. If brick kiln not deposited its E.C. then its consent be revoked.

28. Brick kiln compliance the conditions of own affidavit dt. 19.09.2023, which is deposited by brick kiln

owner.

29. Brick kiln submitted the photocopy of Air consent of 1998 in its office. Brick kiln submitted the original copy of consent year 1998, in the absence of its original copy, its consent Air & Water will revoked.

30. Brick Kiln developed the green belt as per guidelines around the Brick Kiln make the pacca floor in around the trench & Ghati for 15 ft. for the controlling of dust before the operational of Brick Kiln the outer side of Brick Kiln.

Please note that consent to operate will be revoked, in case of, non compliance to any of the above mentioned conditions. Board reserves its right for amendment or cancellation of any of the conditions specified above. Industry is directed to submit its first compliance report regarding above mentioned specific and general conditions in this office.

Jaipal Singh Digitally signed by Jaipal Singh Date: 2023.10.09 11:34:23 +05'30'

JAIPAL SINGH
REGIONAL OFFICER (I)

Copy to:

Chief Environment Officer, C-4, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

Jaipal Singh Digitally signed by Jaipal Singh Date: 2023.10.0 11:34:36 +05'30

JAIPAL SINGH
REGIONAL OFFICER (I)

श्री राम इट उद्योग (पूवनाम–मै0 सुकश कुमार बा0क0आ0), ग्राम–छागवा, सिरसा रोड, रामपुर मुडया, छरा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के सहमति जल एवं वायु आवेदन पत्र के सम्बन्ध में आख्या। ज्ञा0–नि0 247

उपरोक्त ईंट भट्टे का आनलाइन आवेदन दिनांक 18.09.2023 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसके संदर्भ में सन्दर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18.09.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री बोधपाल सिंह उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा जिग–जैग/हाई ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित एवं सीजन ऑफ होने के कारण बन्द पाया गया।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे को कार्यालय के पत्र दिनांक 07.02.1997 के माध्यम से दिनांक 31.12.1997 तक सहमति जल/वायु निर्गत किया गया है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे की उत्पादन क्षमता–20,000 ईंट/दिन का है। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया।
4. ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं पकाई आदि प्रक्रिया द्वारा ईंट का उत्पादन किया जाना है।
5. ईंट भट्ठा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईंट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है।
6. ईंट भट्ठे में उत्पादन प्रक्रिया से औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है। मात्र घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है, जिसके निस्तारण हेतु सैप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना की गयी है।
7. ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग 3.0 मी.टन/दिन किया जाता है। ईंट भट्ठे में कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है। निरीक्षण के समय चिमनी पर पोर्टहोल, प्लेटफार्म, सीढ़ी की व्यवस्था स्थापित पायी गयी।
8. ईंट भट्ठा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 07.03.2016 को वर्गीकृत उद्योगों की नारंगी श्रेणी के उद्योगों में सम्मिलित तथा क्रम संख्या 20 पर अंकित है।
9. निरीक्षण के समय उपस्थित ईंट भटठा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि ईंट भट्ठे प्रत्येक घाटी पर कच्ची ईंट भराई एवं पक्की ईंट निकासी हेतु लगभग–15 फीट चोडी कच्ची सडक पर वाहनों के आवागमन से उत्सर्जित धूल/डस्ट के नियंत्रण हेतु ब्रिक निर्मित सडक में परिवर्तित आगामी फुकाई सत्र से पूर्व कर लिया जाये।
10. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक फुकाई सत्र में चिमनी से जनित फ्लू गैसों का स्टैक मानीटरिंग रिपोर्ट बोर्ड से मान्यता प्राप्त एन0ए0बी0एल0 एक्रीकेटेड प्रयोगशाला से कराकर कार्यालय में प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
11. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि परिवेशीय वायु गुणता बनाये रखने हेतु बोर्ड मानको के अनुरूप ग्रीन वेल्ट विकसित किया जाये अथवा चारों तरफ लगभग–3 मीटर ऊँची पक्की वाउण्ड्री का निर्माण किया जाये।
12. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि ईंट भट्ठा संचालन के विभिन्न प्रक्रिया में उत्सर्जित धूल/डस्ट के नियंत्रण हेतु पानी छिडकाव की उचित व्यवस्था स्थापित की जाये।
13. ईंट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–73845 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया था। ईंट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा बन्दी आदेश निक्षेपण हेंतु अपना प्रत्यावेदन इस कार्यालय में प्राप्त कराया गया था। ईंट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश निक्षेपित किये जाने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या–1161 दिनांक 02.09.2023 के माध्यम से आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी। तत्पश्चात् बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच00816 दिनांक 15.09.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश को निक्षेपित किया गया है।
13. वर्तमान में ईंट भट्ठा द्वारा सहमति जल/वायु के मद में रू0 1500=00 एवं 27000=00 तथा अवशेष शुल्क–10,000=00 (UTR No 328923937476 dated 09.10.23) तथा जल उपकर रू0 12,000=00 (UTR No 328207427644 dated 09.10.2023) आनलाइन के माध्यम से किया गया है। कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे द्वारा आगामी 05 वर्ष हेतु शुल्क उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त दृष्टिगत रखते हुए सहमति की दशा में ईंट भट्ठे निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के साथ दिनांक 30.06.2028 तक सहमति जल/वायु निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आदेश हेतु सादर प्रस्तुत है–

1. ईट भट्ठा को जारी सहमति जल/वायु में आरोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये तथा अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर कार्यालय में प्रेषित की जाये।
2. ईट भट्ठा द्वारा भूगर्भीय जल के दोहन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं विनियमन नियम, 2020 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर तीन माह के अन्दर कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. ईट भट्ठा द्वारा जिला पंचायत से लाइसेंस एवं खनन विभाग से अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त कर तीन माह के भीतर कार्यालय में प्रेषित किया जायें।
4. ईट भट्ठा द्वारा घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सोकपिट/सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जाये। किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण बिना शोधन के न किया जाये।
6. परिवेशीय वायु गुणता बनाये रखने हेतु ईंट भट्ठा द्वारा बोर्ड मानकों के अनुरूप ग्रीन वेल्ट विकसित किया जाये तथा वाउण्ड्री वाल का निर्माण किया जाये।
7. ईंट भट्ठे द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं मा० उच्च न्यायालय तथा सी०पी०सी०बी०, एस०पी०सी०बी० द्वारा जारी किसी भी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. ईंट भट्ठा द्वारा किसी भी दशा में प्रतिबन्धित ईंधन का प्रयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जाये।
9. ईंट भट्ठे द्वारा सहमति जल/वायु के मद में शुल्क के सम्बन्ध में कोई देयता बनती है तो ईंट भट्ठा द्वारा देय होगा।
10. ईंट भट्ठा के विरूद्ध गाइड लाइन के सम्बन्ध में एवं ईंट भट्ठा के विरूद्ध जन शिकायत प्राप्त होने पर एवं उसकी पुष्टि होने पर यह सहमति जल/वायु स्वतः खण्डित समझी जायेगी।
11. ईंट भट्ठा द्वारा प्रत्येक वर्ष संचालन सत्र में स्टैक मानिटरिंग मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर कार्यालय में प्रेषित किया जाये।
12. ईंट भट्ठो को जारी सहमति जल/वायु माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या–253/2021 झम्मन लाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश के अधीन होगी।
13. ईंट भट्ठा द्वारा आगामी फुकाई सत्र में ईंट भट्ठे का संचालन माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या–253/2021 झम्मन लाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश का अक्षरशः अनुपालन करने के उपरान्त ही संचालित किया जाये।
14. ईंट भट्ठे के घाटीयों के चारो तरफ वाहनों के आवागमन से जनित धूल के नियंत्रण हेतु चारो तरफ 15 फीट चौडी ब्रिक्स निर्मित सडक आगामी फुकाई सत्र से पहले स्थापित किया जाना सुनिश्चित करें।
15 ईंट भट्ठे द्वारा शपथ पत्र में दी गयी समस्त वचनवद्धता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
16 ईंट भट्ठा संचालन के विभिन्न प्रक्रिया में उत्सर्जित धूल/डस्ट के नियंत्रण हेतु पानी छिडकाव की उचित व्यवस्था स्थापित की जाये।
17 ईंट भट्ठे द्वारा मा० उच्च न्यायलय में दायार कन्टेम्कट एप्लीकेशन (सिविल) संख्या–6897/2022 में पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
18 ईट भट्ठा स्वामी द्वारा सहमति (जल/वायु) की वर्ष–1998 की छायाप्रति उलब्ध कराई गई है। सहमति (जल/वायु) की मूलप्रति दो माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दृष्टि में वर्तमान में प्राप्त सहमति (जल/वायु) खण्डित समझी जायेगी।
19. ईट भट्ठा स्वामी द्वारा दिनांक 19.09.2023 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त कराये गये शपथ पत्र में अंकित सभी बिन्दुओं/वचनवद्धता का अक्षरशः अनुपालन ईंट भट्ठा संचालन से पूर्व सुनिश्चित किया जाये।
20. ईंट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच93899 दिनांक 19.05.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 7,37,500/– अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। यदि उक्त धनराधि रू 7,37,500/– यदि अधिरोपित की जाती है। तो उक्त को जमा न करने पर जारी सहमति जल/वायु रिवोक/खण्डित समझी जायेगी।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(डॉ० जे०पी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

(130)

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)

विषय - क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ द्वारा अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर कागजों में हेरा फेरी करके कंसर्ट जारी करने के संबंध में ।

महोदय आपको अवगत कराना है कि श्री जयपाल सिंह क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बड़े स्तर पर हेरा फेरी करके कंसर्ट जारी की जा रही है ।
जिसमें एक ईंट भट्टा श्रीराम ईट उद्योग ग्राम छोगावा ब्लॉक बिजौली तहसील अतरौली जिला अलीगढ़ भी शामिल है जिसका बोर्ड मुख्यालय लखनऊ से पत्रांक संख्या एच 73845 दिनांक 4 अप्रैल 2022 के माध्यम से बंदी आदेश जारी किया गया था ।
इसके बाद भी तहसील प्रशासन व प्रदूषण विभाग की मिली भगत से ईट भट्ठा चलता रहा जिसको दैनिक जागरण अमर उजाला अखबार में संचालित ईट भट्टा का फोटो प्रकाशित हुआ जिसमें पुनः जांच हुई जिसमें आदेश का अनुपालन न किए जाने के कारण पत्र संख्या 711 दिनांक 4 जून 2022 के माध्यम से 737500 की पर्यावरणी क्षतिपूर्ति अधुरोपित की गई। इसके बाद भी मिली भगत से भट्टा संचालित होता रहा प्रार्थी के पुनः आपके कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत की गई तब उक्त भट्टा को 7 अप्रैल 2023 को उप जिलाधिकारी अतरौली द्वारा भट्टे में पानी भरवा कर तथा कुछ भाग को तोड़कर बंद किया गया था ।
लेकिन दबंग भट्टा स्वामी ने 18 अप्रैल 2023 को पुनः भट्टा संचालित कर लिया जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा जनसुनवाई संदर्भ संख्या 200 1432 307077 पर पुनः की गई । लेकिन प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं हुई और भट्टा तहसील प्रशासन व प्रदूषण विभाग की मिली भगत से पूरे सीजन चलता रहा ।
अब प्रदूषण विभाग अलीगढ़ द्वारा एक फॉर्म सुकेश कुमार (bko) ग्राम रासपुर ब्लॉक गंगीरी तहसील अतरौली के कागजात में हेरा फेरी करके श्री राम ईट उधोग ग्राम छोगवा ब्लॉक बिजौली तहसील अतरौली में फर्जी तरीके से लगाकर 9 अक्टूबर 2023 को प्रदूषण विभाग से कंसल्ट जारी कर दी गई है जो की पूर्ण रूप से फर्जी पत्रावली तैयार की गई है जो की बहुत ही संगीत मामला है
महोदय से निवेदन है इस प्रकरण में जिले के बड़े अधिकारी से जांच कराकर क्षेत्र अधिकारी प्रदूषण विभाग तथा जो लोग इसमें शामिल है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें ।

R.O. PCB
को तीन दिवस में आख्या प्रस्तुत करें।
07/12/23
ADM(E)

दिनांक - 5/12/23।
Mob- 9758110340

प्रार्थी
संदीप पुत्र ओमप्रकाश
निवासी शिवपुरी छर्रा अलीगढ़

Annexure-XX

(129)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अ

REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 1773/AU-578/2023

दिनांक 07.12.2023

सेवा में,

मै0 श्रीराम ईट उद्योग,

ग्राम छौंगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा,

तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़।

विषय– सहमति (जल/वायु) के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शिकायतकर्ता श्री संदीप पुत्र श्री ओमप्रकाश, निवासी शिवपुरी, छर्रा, जनपद अलीगढ द्वारा शिकायती पत्र, जो कि जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ को सम्बोधित शिकायती पत्र पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अलीगढ़ द्वारा की गयी टिप्पणी में तीन दिवस के अन्दर आख्या प्रस्तुत किये जाने के साथ शिकायत पत्र इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है, जो इस कार्यालय में दिनांक 08.12.2023 को प्राप्त हुआ, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शिकायती पत्र में शिकायतकर्ता द्वारा उल्लिखित किया गया है कि मै0 श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम छौगवां, ब्लाक बिजौली, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ में स्थापित किया गया है। उक्त शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है कि एक फर्म मै0 सुकेश कुमार बी.के.ओ. ग्राम रामपुर, ब्लाक गंगीरी, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ के कागजात को लगाते हुए मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 सुकेश कुमार बी.के.ओ.), ग्राम छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ के नाम से सहमति जारी की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा इस कार्यालय में बोर्ड से जारी बन्दी आदेश को निक्षेपित कराये जाने हेतु दिनांक 07.08.2023 को अपना प्रत्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अंकित किया गया है कि मेरे भट्ठे को बोर्ड से प्रथम बार सहमति वर्ष 1997 में मै0 सुकेश कुमार बी.के.ओ. के नाम से निर्गत की गयी है, जिसकी छायाप्रति भी प्रस्तुत की गयी है। उक्त के अतिरिक्त आप द्वारा दिये गये शपथ पत्र दिनांक 22.09.2023 के बिन्दु संख्या–02 में भी दावा किया गया है कि– "यह कि मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 सुकेश कुमार बी.के.ओ.), गाटा संख्या–290, 247, ग्राम छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ पर स्थापित/संचालित है। मैं स्वयं ईट भट्ठे की प्रोपराइटर हूँ।"

बिन्दु संख्या–9, 10 में मुख्य रूप से अंकित किया गया है कि–

" मेरी इस ईट भट्ठे से सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई विवाद किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है। मेरे द्वारा ईट भट्ठे की सहमति जल/वायु प्राप्त करते समय किसी प्रकार के तथ्य को नहीं छिपाया गया है। यदि

कार्यालय पता : जे–1, ज्ञान सरोवर कॉलौनी, रामघाट रोड, अलीगढ़ – 202001 Phone & Fax : 0571 2743521
Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001 E-mail : roaligarh@uppcb.com

कोई तथ्य छिपाया गया हो तो मेरा सहमति जल/वायु निरस्त कर दिया जाये। जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं का मेरा होगा। "

आपके भट्ठे को जारी सहमति शर्त संख्या–29 के अनुसार आप द्वारा वर्ष 1997 में जारी सहमति की मूल प्रति इस कार्यालय में जमा किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे, किन्तु आप द्वारा उक्त सहमति की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गयी है एवं आप द्वारा भट्ठे को जारी सहमति की शर्तो की अनुपालन आख्या भी इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि भट्ठा के सही पते, स्थल व गाटा संख्या आदि का साक्ष्य एवं मै0 सुकेश कुमार बी.के.ओ., ग्राम छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ आदि के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आपके ईट भट्ठे को जारी सहमति जल/वायु को रिवोक करते हुए भट्ठे के विरूद्ध विरूद्ध पर्यावरण अधिनियमों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सक्षम अधिकारी को कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

सेवा में

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)

विषय - क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ द्वारा अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर कागजों में हेरा फेरी करके कंसर्ट जारी करने के संबंध में ।

महोदय आपको अवगत कराना है कि श्री जयपाल सिंह क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बड़े स्तर पर हेरा फेरी करके कंसर्ट जारी की जा रही है ।
जिसमें एक ईंट भट्टा श्रीराम ईट उद्योग ग्राम छौगावा ब्लॉक बिजौली तहसील अतरौली जिला अलीगढ़ भी शामिल है जिसका बोर्ड मुख्यालय लखनऊ से पत्रांक संख्या एच 73845 दिनांक 4 अप्रैल 2022 के माध्यम से बंदी आदेश जारी किया गया था ।
इसके बाद भी तहसील प्रशासन व प्रदूषण विभाग की मिली भगत से ईट भट्ठा चलता रहा जिसको दैनिक जागरण अमर उजाला अखबार में संचालित ईट भट्टा का फोटो प्रकाशित हुआ जिसमें पुनः जांच हुई जिसमें आदेश का अनुपालन न किए जाने के कारण पत्र संख्या 711 दिनांक 4 जून 2022 के माध्यम से 737500 की पर्यावरणी क्षतिपूर्ति अधुरोपित की गई।
इसके बाद भी मिली भगत से भट्टा संचालित होता रहा प्रार्थी के पुनः आपके कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत की गई तब उक्त भट्टा को 7 अप्रैल 2023 को उप जिलाधिकारी अतरौली द्वारा भट्टे में पानी भरवा कर तथा कुछ भाग को तोड़कर बंद किया गया था ।
लेकिन दबंग भट्टा स्वामी ने 18 अप्रैल 2023 को पुनः भट्टा संचालित कर लिया जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा जनसुनवाई संदर्भ संख्या 200 1432 307077 पर पुनः की गई । लेकिन प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं हुई और भट्टा तहसील प्रशासन व प्रदूषण विभाग की मिली भगत से पूरे सीजन चलता रहा ।
अब प्रदूषण विभाग अलीगढ़ द्वारा एक फॉर्म सुकेश कुमार (bko) ग्राम रामपुर ब्लॉक गंगीरी तहसील अतरौली के कागजात में हेरा फेरी करके श्री राम ईट उधोग ग्राम छौगवा ब्लॉक बिजौली तहसील अतरौली में फर्जी तरीके से लगाकर 9 अक्टूबर 2023 को प्रदूषण विभाग से कंसल्ट जारी कर दी गई है जो की पूर्ण रूप से फर्जी पत्रावली तैयार की गई है जो की बहुत ही संगीत मामला है
महोदय से निवेदन है इस प्रकरण में जिले के बड़े अधिकारी से जांच कराकर क्षेत्र अधिकारी प्रदूषण विभाग तथा जो लोग इसमें शामिल है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें ।

दिनांक - 5/12/23।
Mob- 9758110340

प्रार्थी
संदीप पुत्र ओमप्रकाश
निवासी शिवपुरी छर्रा अलीगढ़

9412507176

Annexure - XXI

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलौनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

(142)

पत्रांक 1909/AV-528/2023 (11) दिनांक 19.12.2023

सेवा में,

मै0 श्री राम ईट उद्योग,
ग्राम–छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा,
तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़।

विषयः **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–1773 दिनांक 07.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से आपको निर्देशित किया गया था कि सही पते, स्थल व गाटा संख्या आदि का साक्ष्य एवं मै0 सुकेश कुमार बी.के.ओ. ग्राम–छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ आदि के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आपके ईट भट्ठे को जारीं सहमति जल/वायु को रिवोक करते हुए भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरण अधिनियमों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सक्षम अधिकारी को कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

कार्यालय अभिलेखानुसार आप द्वारा अभी तक उक्त वर्णित वाछित सूचनाऐं इस कार्यालय में प्राप्त नही करायी गयी है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) की धारा–25/26 के साथ सपठित 27(2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–21/22 के साथ सपठित धारा–21(4) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्रांकः 193199 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से निर्गत सहमति (जल/वायु) को रिवोक किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना ईट भट्ठे का संचालन न किया जाये। उपरोक्त जारी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन न पाये जाने की दशा में ईट भट्ठे के विरूद्ध की गयी किसी भी प्रकार की कार्यवाही का समस्त उत्तरदायित्व ईट भट्ठा एवं ईट भट्ठा के उत्तरदायी का स्वयं का होगा।

भवदीय

(डॉ0 ए0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रषित।

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, अलीगढ़।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. वेब मास्टर, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उक्त ईट भट्ठे की सहमति (जल/वायु) आदेश की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया ओ0सी0एम0एम0एस0 पोर्टल से सन्दर्भित ईट भट्ठे को जारी सहमति (जल/वायु) को रिवोक किये जाने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

AEE LETTER 2023

Annexure-XXII.

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अलीगढ़।

पत्रांक [illegible] एस0सी0 दिनांक 22 मार्च, 2024

विषय: शिकायतकर्ता श्री संदीप पुत्र ओमप्रकाश निवासी शिवपुरी छर्रा अलीगढ़, के शिकायती प्रार्थना पत्र की जॉच के सम्बंध में।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

महोदय,

कृपया शिकायतकर्ता श्री संदीप पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी शिवपुरी छर्रा अलीगढ़, के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2023 पर पारित महोदय के पृष्ठांकित आदेश दिनांक 06.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत शिकायतकर्ता द्वारा श्री जयपाल सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ के विरूद्ध मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 सुकेश कुमार बी.के.ओ.) छौगवॉ, सिरसा रोड़, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील अतरौली जनपद अलीगढ़ को (जल/वायु) की सहमति/अनुमति (कंसर्ट) जारी करने के सम्बंध में कतिपय आरोप लगाते हुए शिकायत की गयी है।

इस सम्बंध में सादर अवगत कराना है कि पत्रांक 3828/दिनांक 07.12.2023 से क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ से जवाब/आख्या प्राप्त की गयी। क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ के पत्र संख्या 1836/AU–578/2023 दिनांक 12.12.2023 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी है जिसमें मुख्यतया यह अंकित किया गया है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी.सी. 12वी. विभूमि खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र संख्या–एच 73845/सी–4/ईट–904/बन्दी/2022 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से उक्त ईट भट्टे के विरूद्ध बोर्ड से बिना अनापत्ति व सहमति प्राप्त किये जाने के अनुक्रम में बन्दी आदेश जारी किया गया। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा भट्टे के संचालन को दिनांक 26.05.2022 को बन्द करा दिया गया। पुनः भट्टा संचालित होने पर एवं शिकायत प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 01.06.2022 को निरीक्षण कराया गया, ईट भट्टा संचालित पाये जाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 7,33,500/– अधिरोपित करने के साथ–साथ पत्र दिनांक 04.06.2022 के माध्यम से अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को की गयी। मै0 श्रीराम ईट उद्योग, छौगवॉ सिरसा, तहसील अतरौली के नाम से ऑनलाइन के माध्यम से दिनांक 19.09.2022 को आवेदन किया गया, जिसके बन्दी आदेश प्रभावी होने एवं वॉछित सूचनाओं को प्रस्तुत न किये जाने के अनुक्रम में दिनांक 01.10.2022 को ऑनलाइन के माध्यम से अस्वीकृत कर दिया गया। ईट भट्टा स्वामी द्वारा दिनांक 07.08.23 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी.सी. 12वी. विभूमि खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र संख्या–एच 73845/सी–4/ईट–904 /बन्दी/2022 दिनांक 04.04.2022 से जारी बन्दी आदेश को निक्षेपित कराने हेतु दिये गये प्रत्यावेदन में उल्लिखित किया गया कि मेरे ईट भट्टे को बोर्ड से प्रथम बार सहमति जल/वायु कार्यालय के पत्र दिनांक 07.02.1997 के माध्यम से दिनांक 31.12.1997 तक मै0सुकेश कुमार बी0के0ओ0 के नाम से निर्गत की गयी है, मेरे ईट भट्टे में पोर्टहोल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी इत्यादि स्थापित किये गये है। भट्टे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश पत्र संख्या–एच 73845/सी–4/ईट–904/बन्दी/2022 दिनांक 04.04.2022 को निरस्त करने एवं बोर्ड से अग्रिम वर्षो की सहमति जल/वायु प्राप्त कर ईट भट्टे का संचालन किया जा सके, जो उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ कार्यालय में दिनांक 07.08.2023 को प्राप्त हुई। ईट भट्टा स्वामी द्वारा दिये गये उक्त प्रत्यावेदन एवं मै0 सुकेश कुमार बी.के.ओ. के नाम से जारी सहमति की (छायाप्रति संलग्न) करते हुए बोर्ड मुख्यालय को क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ के पत्रांक 1161/AU–578/2023 दिनांक 02.09.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश निक्षेपण के सम्बंध में प्रेषित किया गया, जिसे उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी.सी.12वी. विभूमि खण्ड, गोमती नगर,

क्रमश........2

लखनऊ के पत्र संख्या–एच 00816/सी–4/ईट–904 /निक्षेप/2023 दिनांक 15.09.2023 के माध्यम से मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 सुकेश कुमार बी.के.ओ.) छौगवॉ, सिरसा रोड़, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील अतरौली जनपद अलीगढ़ के नाम से सशर्त निक्षेपित किया गया। तत्पश्चात भट्टा स्वामी बोर्ड से सहमति प्राप्त किये जाने हेतु ऑनलाइन के माध्यम से मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 सुकेश कुमार बी.के.ओ.) छौगवॉ, सिरसा रोड़, रामपुर मुडिया, छर्रा, तहसील अतरौली जनपद अलीगढ के नाम से दिनांक 17.09.2023 को आवेदन किया गया, जिसके साथ पूर्वनाम मै0सुकेश कुमार बी.के.ओ. के नाम से दिनांक 07.02.1997 द्वारा जारी सहमति की छायाप्रति संलग्न की गयी। उक्त ईट भट्टे के ऑनलाइन सहमति आवेदन एवं ईट भट्टा स्वामी द्वारा प्रस्तुत किये गये 1997 में जारी सहमति के सम्बंध में रू0 100.00 के नोटराइज्ड शपथ पत्र दिनांक 22.09.2023 के माध्यम से दावा किया गया कि मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0सुकेश कुमार बी.के.ओ.) गाटा सं0 290, 247 छौगवॉ, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया छर्रा तहसील अतरौली जनपद अलीगढ़, पर स्थापित/संचालित होने एवं स्वयं उक्त ईट भट्टे के प्रोपराइटर होने का दावा करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुक्रम में उक्त भटटे को पत्रांक 193199 दिनांक 09.10.2023 से सहमति (जल/वायु) की सहमति/अनुमति दी गयी गई। उपरोक्त प्रकरण में भट्टा स्वामी को क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ द्वारा पत्र संख्या 1773 दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ के पत्र संख्या 1909/AU–528/2023 दिनांक 19.12.2023 जो मै0 श्रीराम ईट उद्योग ग्राम–छौगवॉ सिरसा, रोड रामपुर मुड़िया छर्रा, तहसील अतरौली जनपद अलीगढ़ को जारी किया गया है जिसमें अंकित किया गया है कि कार्यालय अभिलेखानुसार आप द्वारा अभी तक उक्त वर्णित वॉछित सूचनाऐं इस कार्यालय में प्राप्त नहीं करायी गयी है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जल (प्रदूषण विवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) की धारा–25/26 के साथ सपठित 27(2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–21/22 के साथ सपठित धारा–21(4) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्रांक 193199 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से निर्गत सहमति (जल/वायु) को रिवोक किया जाता है तथा राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन न किया जाये। उपरोक्त जारी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन न पाये जाने की दशा में ईट भट्टे के विरूद्ध की गयी किसी भी प्रकार की कार्यवाही का समस्त उत्तरदायित्व ईट भट्टा एवं ईट भट्टा के उत्तरदायी का स्वयं का होगा।

अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र संख्या 3944/एस0टी0 दिनांक 14.12.2023 एवं पत्र संख्या 4223/एस0टी0 दिनांक 29.12.2023 के कम में तहसीलदार अतरौली के पत्र संख्या 1276/रजि0का0 दिनांक 18.12.2023 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया कि मौजा छौगवॉ परगना गंगीरी तहसील अतरौली में वर्तमान में श्रीराम ईट उद्योग के नाम से भट्टा संचालित है। पूर्व में भट्टे का नाम मै0 उड़िया बाबा ईट उद्योग, ग्राम छौगवॉ था। उक्त दोनों भट्टे एक ही है। तदोपरान्त कार्यालय पत्र संख्या 4370/एस0टी0 दिनांक 05.01.2024 से उपरोक्त भट्टा किस गाटा संख्या पर बना है तथा अलग–अलग है के सम्बंध में स्पष्ट आख्या तहसीलदार अतरौली से प्राप्त करने हेतु जारी किया गया। तहसीलदार अतरौली के पत्र संख्या 732/रजि0लि0 दिनांक 15.01.2024 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया कि मौजा छौगवां पर0 गंगीरी तह0 अतरौली के गाटा सं0 37 में ही श्री उडिया बाबा ईट उद्योग का संचालन सन 2017 से किया जा रहा है, जो वर्तमान में अब दिनांक 05.12.21 से श्रीराम ईट उद्योग के नाम से चल रहा है। उक्त दोनो भट्टों के सम्बंध में उपलब्ध कराये गये रजिस्ट्रेशन में भी गाटा संख्या 37 का उल्लेख है, जिससे उक्त दोनों भट्टे एक ही है, जिन्हें अलग–अलग समय में अलग–अलग नाम से चलाया गया है।

कमशः........3

पुनः शिकायतकर्ता श्री संदीप के द्वारा दिनांक 01.02.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कम में कार्यालय पत्र संख्या 4871/एस0टी0 दिनांक 08.02.2024 एवं पत्र संख्या 5075/एस0टी0 दिनांक 22.02.2024 से मौके की स्थलीय जॉच करते हुए अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ आख्या तहसीलदार अतरौली से प्राप्त करने हेतु जारी किया गया। तहसीलदार अतरौली के पत्र संख्या 75/रजि0लि0 दिनांक 14.02.2024 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया कि सुकेश कुमार बी0के0ओ0 ग्राम रामपुर के गाटा सं0 247 में स्थित है, जिसके सम्बंध में मुकेश कुमार पुत्र बालकिशन द्वारा बताया गया कि भट्टे का संचालन पूर्व में ममता गुप्ता पत्नी मुकेश कुमार द्वारा संचालन किया गया था जो वर्तमान में बन्द है जिसके सम्बंध में वाणिज्य कर की रसीद व जिला परिषद की रसीद उपलब्ध करायी गयी है व श्रीराम ईट उद्योग मौजा छौगवॉ के गाटा संख्या–37 में स्थित है, जो पिछली वर्ष संचालित किया गया था। उक्त दोनों भट्टे पृथक–पृथक राजस्व ग्राम में स्थित है। तदोपरान्त कार्यालय पत्र संख्या 5075/एस0टी0 दिनांक 22.02.2024 से तहसीलदार अतरौली द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 18.12.2023, 15.01.2023, 14.02.2024 में विरोधाभास होने के सम्बंध में सुविचारित सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार अतरौली के पत्र संख्या 1397/रजि0का0 दिनांक 05.03.2024 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया कि जॉच करने पर भट्टा संचालक रानी देवी पत्नी श्री बोधपाल सिंह नि0 सिरसा तहसील अतरौली द्वारा बताया गया कि श्रीराम ईट उद्योग पूर्वनाम उड़िया बाबा ईट उद्योग पूर्वनाम मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 के नाम से संचालित रहा है। श्रीराम ईट उद्योग ग्राम छौगवॉ के पूर्वनाम मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 होने के साक्ष्य के रूप में जिला पंचायत की रसीद एवं प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड लखनऊ द्वारा निर्गत सहमति प्रपत्र उपलब्ध कराया गया। उक्त भट्टे का एक अन्य पूर्वनाम श्री उड़िया बाबा ईट उद्योग भी होने के साक्ष्य के रूप में जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराया गया। मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 के नाम से वर्तमान में रामपुर मजरा भुडिया तहसील अतरौली के गाटा संख्या–247 में एक भट्टा स्थित है तथा मौजा छौगवॉ तहसील अतरौली के गाटा संख्या--37 में संचालित श्रीराम ईट उद्योग का एक पूर्व नाम भी मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 रहा है। दोनो भट्टे पृथक–पृथक मौजा में स्थित है।

इसके उपरान्त शिकायतकर्ता श्री संदीप के द्वारा दिनांक 12.03.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कम में कार्यालय पत्र संख्या 5368/एस0टी0 दिनांक 13.03.2024 से रसीद की प्रति संलग्न करते हुए सत्यापन आख्या उपलब्ध कराये जाने के लिए अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अलीगढ, को जारी किया गया। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अलीगढ, के कार्यालय पत्र संख्या 1905/ला0–जि0पं0/2023–24 दिनांक 14.03.2024 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया है कि जिला पंचायत कार्यालय द्वारा लाइसेंस एवं कर की वसूली हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र संख्या 05 एवं 25 की रसीदों का उपयोग किया जाता है, जिसके दॉयीं एवं वॉयी ओर उस रसीद का कमांक अंकित होता है, रसीद पर कोई रसीद का कमांक दर्शित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त संदर्भित तथाकथित रसीद कूटरचित व फर्जी होना बताते हुए आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गयी है।

तदोपरान्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र संख्या 5406/एस0टी0 दिनांक 15.03.2024 से अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अलीगढ, से प्राप्त सत्यापन आख्या दिनांक 14.03.2024 के कम में तहसीलदार अतरौली से स्वयं गहन जॉच कर अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ बिन्दुवार सुस्पष्ट संस्तुति आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार अतरौली के पत्र संख्या 145/रा0लि0 दिनांक 15.03.2024 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया है कि जॉच करने पर भट्टा संचालक रानी देवी पत्नी श्री बोधपाल सिंह नि0 सिरसा तहसील अतरौली द्वारा बताया गया कि श्रीराम ईट उद्योग पूर्वनाम उड़िया बाबा ईट उद्योग पूर्वनाम मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 के नाम से संचालित रहा है। श्रीराम ईट उद्योग ग्राम छौगवॉ के पूर्वनाम मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 होनेके साक्ष्य के रूप में जिला पंचायत की रसीद एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा निर्गत सहमति प्रपत्र उपलब्ध कराया गया।

कमश........4

4/-

दिनांक 15.03.2024 को शिकायतकर्ता को पुनः सुना गया एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया कि जिला पंचायत अलीगढ के पत्रांक 1905/ला0-जि0पं0/2023-24 दिनांक 14.03.2024 के द्वारा खारिज कर दिया गया है एवं प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति प्रपत्र को पत्रांक 1909 दिनांक 19.12.2023 के द्वारा रिवोक कर दिया गया है। उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 के नाम से वर्तमान में रामपुर मजरा भुडिया तहसील अतरौली के गाटा संख्या-247 में एक भट्टा स्थित है तथा श्रीराम ईट उद्योग मौजा छौगवॉ तहसील अतरौली के गाटा संख्या-37 में संचालित है। दोनो भट्टे अलग-अलग है तथा पृथक-पृथक राजस्व ग्राम में स्थित है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ से प्राप्त जवाब/स्पष्टीकरण दिनांक 12.12.2023 एवं तहसीलदार अतरौली से प्राप्त आख्याओ दिनांक 18.12.2023, 15.01.2024, 14.02.2024, 05.03.2024 व 15.03.2024 तथा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अलीगढ, की आख्या दिनांक 14.03.2024 एवं शिकायतकर्ता के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2023, 01.02.2024 व 12.03.2024 का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों तथा तहसीलदार अतरौली की आख्या दिनांक 15.03.2024 से स्पष्ट है कि मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 के नाम से वर्तमान में रामपुर मजरा भुडिया तहसील अतरौली के गाटा संख्या-247 में एक भट्टा स्थित है, तथा श्रीराम ईट उद्योग मौजा छौगवॉ तहसील अतरौली के गाटा संख्या-37 में संचालित है। दोनो भट्टे अलग-अलग है तथा पृथक-पृथक राजस्व ग्राम में स्थित है। मै0 रानीदेवी पत्नी बोधपाल सिंह, नि0 ग्राम सिरसा तहसील अतरौली के द्वारा दिनांक 22.09.2023 को दिये गये नोटरी शपथ-पत्र के बिन्दु सं0-2, में दावा किया गया है कि मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0-सुकेश कुमार बी0के0ओ0), गाटा संख्या-290, 247, ग्राम छौगवॉ, सिरसा रोड़, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील-अतरौली, जनपद अलीगढ़ पर स्थापित/संचालित है, जिसकी स्वयं ईट भट्टे की प्रोपराईटर हूँ, तत्समय रानीदेवी द्वारा साक्ष्य के रूप में जिला पंचायत द्वारा निर्गत रसीद दिनांक 06.10.1997 संलग्नक कर अनुमति हेतु आवेदन किया, जिसके कम में श्री जयपाल सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़, के द्वारा बिना किसी जॉच पड़ताल एवं बिना गहन परीक्षण के अनुमति जारी की गयी है, परन्तु श्रीमती रानीदेवी द्वारा जिला पचायत द्वारा निर्गत रसीद का सत्यापन कराने पर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अलीगढ, के कार्यालय पत्र संख्या 1905/ला0-जि0पं0/2023-24 दिनांक 14.03.2024 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया है, कि जिला पंचायत कार्यालय द्वारा लाइसेंस एवं कर की वसूली हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र संख्या 05 एवं 25 की रसीदों का उपयोग किया जाता है, जिसके दॉयीं एवं वॉयी ओर उस रसीद का कमांक अंकित होता है, रसीद पर कोई रसीद का कमांक दर्शित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त संदर्भित तथाकथित रसीद कूटरचित व फर्जी होना बताते हुए आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गयी है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत दोनो ईट भट्टे पृथक-पृथक राजस्व ग्राम में स्थित है तथा अलग-अलग है। जॉचोपरान्त पाया गया कि श्रीमती रानीदेवी द्वारा कूटरचित अभिलेख दाखिल किये गये, जिसका श्री जयपाल सिंह, तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ द्वारा बिना गहनता के जॉच किये तथाकथित कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर (जल/वायु) की सहमति/अनुमति (कंसर्ट) जारी कर दी गयी, जिसके लिए श्री जयपाल सिंह, तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़, प्रथम दृष्टया दोषी है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार २० किता।

22/03/24

(पंकज कुमार)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
अलीगढ़।

INSPECTION REPORT OF BRICK KILNS

1. Name & address of the Brick Kiln : M/s Shri Ram Ent Udhyog, vill- Chogao, Atrauli Aligarh
2. Inspection conducted by : Asrar Ahamad (RI), Jitendra kumar Sharma (L...
3. Representative of the Brick Kiln and their contact number : Mr. Bhuri Singh (Muneem) Mr. Ray singh - 9411210514
4. Latitude & Longitude of the Brick Kiln : 27.966905, 78.393286
5. Date of Inspection : 30.01.2024
6. Whether Brick Kiln found operational or not : Not Operational
7. Production Capacity of Brick Kiln : 20,000/-
8. Details of Raw Material : soil, Sand and water
9. Type of Fuel used with quantity : Agriculture waste and wood
10. Air Pollution Control device & Technology used by Brick Kiln details : Zig - zag
    - (i) Shape of Brick Kiln : Rectangular
    - (ii) Shape of Stack : Circular
    - (iii) Height of Stack : Approx - 110 Ft
    - (iv) Port hole, Leader, Stair details : Yes
    - (v) Details of Paved Road : No.
11. Air Pollution Control device details :
    - (i) Whether gravity settling : —
    - (ii) Whether water sprinklers/ stand post to control dust emissions provided or not —
12. Status of NOC/ Consent of the Board : 19.12.23 (रिवोक)
13. Observation & Status of the Board's action in case of non compliance:

निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे के आस-पास कच्ची पथाई का काम होता हुआ पाया गया। कार्यालय के पत्रांक सं0- 1909/AU+528/23 दिनांक 19.12.23 के माध्यम से रिवोक किया गया है।

Signature of representative of brick kiln: रायसिंह

(JRF) 30/01/24

30/1/024 (Asrar Ahmad) (RI)

230

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

REGIONAL OFFICE & LABORATORY

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक:- 2850/06-162/IGRS/24

दिनांक:- 19.03.24

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
अलीगढ।

विषय–आई0जी0आर0एस0 संदर्भ संख्या–20014324004957 दिनांक 12.03.2024, संदर्भ संख्या–20014324004960 दिनांक 12.03.2024, संदर्भ संख्या–60000240048897 दिनांक 02.03.2024, संदर्भ संख्या–60000240048920 दिनांक 02.03.2024, संदर्भ संख्या–60000240049752 दिनांक 03.03.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित संदर्भ संख्या–20014324004957 दिनांक 12.03.2024, संदर्भ संख्या–20014324004950 दिनांक 12.03.2024, संदर्भ संख्या–60000240048897 दिनांक 02.03.2024,संदर्भ संख्या–60000240048920 दिनांक 02.03.2024, संदर्भ संख्या–60000240049752 दिनांक 03.03.2024, जो आनलाइन माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुई, का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित ईट भट्ठे का जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ के आदेशानुसार नवीनतम निरीक्षण उप जिलाधिकारी, अतरौली, जनपद अलीगढ के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 04.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्ठे पर फुकाई लेबर नहीं पायी गयी, किन्तु भट्ठे से जनित वाष्प जैसा उत्सर्जन पाया गया, जिससे प्रतीत हो रहा था कि फुकाई की गयी है, जिसे मौके पर ही बन्द करा दिया गया था एवं उपस्थित भट्ठा प्रतिनिधि श्री बोधपाल सिंह को नर्देशित किया गया था कि राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त भट्ठा संचालन किये जाने पर ईट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी। वर्तमान में ईट भटठे पर ईट पथाई एवं संचालन का कार्य नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण आख्या की छायाप्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए सन्दर्भित आई0जी0आर0एस0 संदर्भों का निरतारण करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(signature)

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

229

1. श्री हुमायूँ उमेर (सचिव) - मुकेश कुमार पीतल ... स्थित ग्राम रामपुर घुमरा, हवेली, अतरौली, अलीगढ़ के सम्बन्ध में :— जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर

जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपजिलाधिकारी, अतरौली एवं क्षेत्रीय अधि. उ०प्र० प्र० नि० बोर्ड, अलीगढ़ से संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त के अनुपालन में दि० 4-3-2024 इकाई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय नालियाँ कुल्हड़ें लेकर जलाने पर नहीं पाई गई किन्तु अहाते से पीतल आदि जैसा उत्पादन पाया गया जिससे प्रतीत होता है कि कुल्हड़ें को निरीक्षण से पूर्व बंद कर दिया गया है। मौके पर उपस्थित इकाई प्रतिनिधि श्री बोधपाल सिंह को निर्देशित किया गया कि बिना सहमति इकाई का संचालन किया गया एवं पुनः सहमति प्राप्त कर ही संचालन किया जाय तब तक इकाई को बंद रखा जावे। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षति पूर्ति वसूल किये जाने हेतु क्षे. क्षेत्रीय अधिकारी को कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।

बो० सिंह
बोधपाल सिंह
5/3/2024

(RO, UPPCB)
Aligarh

(SDM)
अतरौली
अलीगढ़

Annexure- XXV 93

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

(13)

REGIONAL OFFICE & LABORATORY

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 2082/ AV-578/24 दिनांक 22.03.24

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4)
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–मै0 श्रीराम ईंट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ की निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

• कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि सन्दर्भित ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा बिना वैध सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित पाया गया। अतः ईंट भट्ठे के विरूद्ध 05.03.2024 से दिनांक 21.03.2024 तक कुल 17 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु ज़ारी गाइडलाइन के अनुसार EC= PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0 =6,250/- प्रतिदिन की दर से 17 दिवस हेतु कुल रू0 6,250x17 = 1,06,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के एवं ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने के साथ–साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राधेश्याम) 22/3/24
क्षेत्रीय अधिकारी

मै0 श्रीराम ईंट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ की निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

सन्दर्भित विषयक ईंट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री मोहकम सिंह उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा हाईड्राफ्ट/जिग–जैग पद्धति पर संचालित पाया गया।
2. ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग–20,000 ईंट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
3. ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में तूरी/लकडी का प्रयोग लगभग 3.0 मी.टन/दिन किया जाता है। ईंधन के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित पायी गयी।
4. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल आदि बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयीं।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच73845 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से जारी बन्दी आदेश के सम्बन्ध में बन्दी आदेश को निक्षेपित किये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति कार्यालय के पत्र संख्या–1161 दिनांक 02.09.2023 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया था। बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच00816 दिनांक 16.09.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश को निक्षेपित किया गया है।
6. कार्यालय अभिलेखानुसार सहमति जल/वायु आनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में निरीक्षण दिनांक 18.09.2023 को किया गया था। तत्पश्चात् कार्यालय के पत्र संख्या–193199 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से दिनांक 30.06.2028 तक सहमति जल/वायु निर्गत की गयी थी।
7. ईंट भट्ठे के विरूद्ध बार–बार शिकायत प्राप्त होने पर कार्यालय के पत्र संख्या–1773 दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से नोटिस ईंट भट्ठा को प्रेषित किया गया था। कार्यालय अभिलेखानुसार कार्यालय के पत्र संख्या–1909 दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को जारी सहमति को रिवोक कर लिया गया है **(रिवोक पत्र की छायाप्रति संलग्न है)।**
8. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे का निरीक्षण उपजिलाधिकारी, अतरौली, अलीगढ़ के कार्यालय में कार्यरत श्री अशरार अहमद, राजस्व निरीक्षक के साथ इस कार्यालय द्वारा दिनांक 30.01.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्या कार्यालय के पत्र संख्या–2336 दिनांक 31.01.2024 के माध्यम से संलग्न कर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), अलीगढ़ को मिट्टी खनन एवं कच्ची ईंट पथाई पर रोक लगाये जाने हेतु अनुरोध किया गया था तथा इसकी सूचना कार्यालय के पत्र संख्या–2543 दिनांक 13.02.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी थी।
9. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईंट भट्ठे के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ द्वारा उपजिलाधिकारी, अतरौली एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु आदेश दिया गया था। उक्त के अनुक्रम में सन्दर्भित ईंट भट्ठे का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 04.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय फुकाई लेबर भट्टे पर नहीं पायी गयी। परन्तु ईंट भट्ठे से उत्सर्जन होता हुआ पाया गया, जिसको मौके पर बन्द करा दिया गया था (छायाप्रति संलग्न)।
10. ईंट भट्ठे के विरूद्ध आनलाइन आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से भी किया गया है, जिसका निस्तारण कार्यालय के पत्र संख्या–2850 दिनांक 19.03.2024 के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा कार्यालय के पत्र संख्या–2864 दिनांक 20.03.2024 के माध्यम से उपजिलाधिकारी, तहसील–अतरौली, अलीगढ़ को ईंट भट्ठे का संचालन बन्द कराने के साथ–साथ ईंट भट्ठे के संचालन पर सतत् निगरानी रखने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को अनुरोध किया गया था।

11. सन्दर्भित ईंट भट्ठा का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 05.03.2024 से दिनांक 21.03.2024 तक कुल 17 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC= PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0 =6,250/- प्रतिदिन की दर से 17 दिवस हेतु कुल रू0 6,250x17 = 1,06,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के एवं ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने के साथ–साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)	(जितेन्द्र कुमार)	(उपेन्द्र प्रसाद)	(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
प्रयोगशाला सहायक	अनुश्रवण सहायक	सहायक पर्यावरण अभियन्ता	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

21/3/24

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ 338

REGIONAL OFFICE
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 304/AU-578/2024 दिनांक 06.05.2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– मै0 श्री राम ईंट उद्योग (पूर्वनाम–सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित ईंट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 01.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर ईट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 22.03.2024 से दिनांक 01.05.2024 तक कुल 41 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x500x.5x1.0=12,500/- प्रतिदिन की दर से 41 दिवस हेतु कुल रू0 12,500x41=5,12,500/- एवं पूर्व में में अधिरोपित 7,37,500 + 1,06,250 + 5,12,500 को समयोजित करते हुए कुल रू0 13,56,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(राधेश्याम) 6/5/24
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय पता : जे–1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़ – 202001 Phone & Fax : 0571 2743521
Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001 E-mail : roaligarh@uppcb.in

मै0 श्री राम ईंट उद्योग (पूर्वनाम–सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्याः–

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण जिला प्रशासन, अतरौली के साथ दिनांक 01.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री नरेन्द्र सिंह (मुनीम) उपस्थित मिले। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत हैः–

1. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा जिग–जैग/हाई ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित एवं संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है–

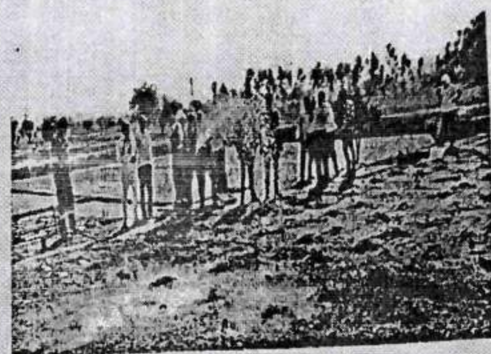

2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग–20,000 ईंट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार एवं निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में तूरी का प्रयोग लगभग 3.0 मी.टन/दिन किया जाता है। निरीक्षण के समय चिमनी से उत्सर्जित फ्लू गैसों के निस्तारण हेतु लगभग–30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित पायी गयी।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल आदि बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पाये गये।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठे को कार्यालय के पत्र संख्या–193199 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से दिनांक 30.06.2028 तक सहमति जल/वायु निर्गत की गयी। कार्यालय के पत्र संख्या–1773 दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को स्थापित ईंट भट्ठे के सही पते, स्थल व गाटा संख्या का साक्ष्य एवं पूर्व नाम मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 आदि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु पत्र प्रेषित किया गया। प्रेषित पत्र के सन्दर्भ में ईंट भट्ठे द्वारा अपना स्पष्टीकरण कार्यालय में प्रेषित न करने के कारण कार्यालय के पत्र संख्या–1909 दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को जारी सहमति जल/वायु को रिवोक कर लिया गया है।
6. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे के विरूद्ध पूर्व में कार्यालय के पत्र संख्या–711 दिनांक 04.06.2022 के माध्यम से रू0 7,37,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी।

7. ईंट भट्ठे का पूर्व में निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठा बिना बोर्ड से वैध सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाया गया। तत्क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या–2882 दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से ईंट भट्ठे के विरूद्ध रू0 1,06,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को की गयी थी, जो बोर्ड मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है।

10. निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 के अनुक्रम में ईंट भट्ठे का संचालन बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये किया जा रहा है।

11. निरीक्षण के समय सन्दर्भित ईंट भट्ठा बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए गठित समिति नायब तहसीलदार, अतरौली, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा दिनांक 01.05.2024 को पानी डलवाकर ईंट भट्ठे का उत्पादन कार्य बन्द कराया गया तथा निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि भविष्य में ईंट भट्ठे का संचालन बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये न किया जाये।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ईट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 22.03.2024 से दिनांक 01.05.2024 तक कुल 41 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x500x.5x1.0=12,500/- प्रतिदिन की दर से 41 दिवस हेतु कुल रू0 12,500x41=5,12,500/- एवं पूर्व में में अधिरोपित 7,37,500 + 1,06,250 + 5,12,500 को समयोजित करते हुए कुल रू0 13,56,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा) प्रयोगशाला सहायक	(जितेन्द्र कुमार) अनुश्रवण सहायक	(डॉ0 जे0पी0 सिंह) सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

06/5/24

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

17/05/24

पत्रांक 309/AU-578/2024 दिनांक 07.05.2024

ADM (F/R)

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ दिये गये निर्देशों के अनुक्रम मै0 श्री राम ईंट उद्योग (पूर्वनाम–सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ का किये गये निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक की सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ द्वारा दिये गये मौखिक निर्देश के अनुक्रम में सन्दर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 06.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। ईट भट्ठे द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति नहीं प्राप्त किया गया है। विस्तृत निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर ईट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 02.05.2024 से दिनांक 06.05.2024 तक 05 दिन को डिफाल्टर मानते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF. EC=50x1x250x.5x1.0=6,250/- प्रतिदिन की दर से तीसरी पुनरावृत्ति के दृष्टिगत रू0 6,250/– का चार गुना अर्थात रू0 25,000/दिन की दर से कुल 05 दिवस हेतु कुल रू0 25,000x5=1,25,000/- एवं पूर्व में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति (7,37,500 + 1,06,250 + 5,12,500) को समायोजित करते हुए कुल रू0 14,81,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदया, अलीगढ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ईट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 07.05.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुपालन में उपजिलाधिकारी अतरौली/क्षेत्राधिकारी पुलिस अतरौली को ईट भट्ठे को प्रभावी रूप से बन्द कराये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय पता : जे–1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़ – 202001 Phone & Fax : 0571 2743521
Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001 E-mail : roaligarh@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : H110388 / सी–4 / ईट–904 / बंदी / 2024, दिनांक : 07-05-2024

मै0 श्री राम ईट उद्योग,
ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली,
जनपद–अलीगढ़।

यह कि मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ द्वारा कच्चे माल के रूप मे मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर, ईट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा संदर्भित ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 21.03.2024 को ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री मोहकम सिंह की उपस्थिति में करते हुए निरीक्षण आख्या पत्र दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई है। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईट भट्ठा हाईड्राफ्ट / जिग–जैग पद्धति पर संचालित पाया गया। ईट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल आदि मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पाया गया। ईट भट्ठे के विरूद्ध बार–बार शिकायत प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या–1773, दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया था। तदनुसार क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र सं0–1909, दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से ईट भट्ठे को जारी सहमति को रिवोक कर लिया गया है। ईट भटठे के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में ईट भट्ठे का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 04.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय फुकाई लेबर भट्ठे पर नहीं पायी गयी, परन्तु ईट भट्ठे से उत्सर्जन होता हुआ पाया गया, जिसको मौके पर बन्द करा दिया गया था।

यह कि ईट भट्ठे के विरूद्ध आनलाइन आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से प्राप्त शिकायत का निस्तारण क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या–2850, दिनांक 19.03.2024 के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या–2864, दिनांक 20.03.2024 के माध्यम से उपजिलाधिकारी, तहसील–अतरौली, अलीगढ़ को ईट भट्ठे का संचालन बन्द कराने के साथ–साथ ईट भट्ठे के संचालन पर सतत् निगरानी रखने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को अनुरोध किया गया था। संदर्भित ईट भट्ठा का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक–2882 / एयू–578 / 24, दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या में मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अंतर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने के साथ–साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक–247 / एयू–578 / 2024, दिनांक 01.05.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या में अवगत कराया गया है कि मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ का निरीक्षण दिनांक 01.05.2024 को जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय

ईट भट्ठा बिना राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाया गया। राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित किये जाने पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 01.05.2024 को पानी डलवाकर ईट भट्ठे में उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 04.06.2022, 22.03.2024 एवं 01.05.2024 के अनुक्रम में ईट भट्ठा मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के निम्नलिखित निर्देश/आदेश जारी किये जाते हैं :–

1. **यह कि ईट भट्ठा मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ को यथावत् बन्द रखा जाये एवं राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना किसी भी दशा में भट्ठे का संचालन न किया जाये।**

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि ईट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का प्रकरण राज्य बोर्ड में विचाराधीन है, जिस पर नियमानुसार पृथक से कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्ठे के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विधि अनुभाग द्वारा वांछित प्रपत्रों की मूल प्रति साक्ष्य आदि सहित प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

9759232585–

Annexure- XXIX

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

REGIONAL OFFICE

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 394/AU-578/2024 दिनांक 13-05-24

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ दिये गये निर्देशों के अनुक्रम मै0 श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम–सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड़, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ का किये गये निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ द्वारा दिये गये मौखिक निर्देश के अनुक्रम में सन्दर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 10.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। ईट भट्ठे द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति नहीं प्राप्त किया गया है। ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच10388/सी–4/ईट–904/बन्दी/2024 दिनांक 07.05.2024 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। विस्तृत निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर ईट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 07.05.2024 से दिनांक 10.05.2024 तक 04 दिन को डिफाल्टर मानते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0=6,250/- प्रतिदिन की दर से चौथी पुनरावृत्ति के दृष्टिगत रू0 6,250/– का आठ गुण अर्थात रू0 50,000/दिन की दर से कुल 04 दिवस हेतु कुल रू0 50,000x4=2,00,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है। अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय के पत्र संख्या–309 दिनांक 07.05.2024 के माध्यम से रू0 14,81,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति के साथ–साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया है, जो बोर्ड मुख्यालय स्तर पर लम्बित है। उपरोक्त को संज्ञानित करते हुए ईट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षपिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ पुनः अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
13/5/24
(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय पता : जे–1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़ – 202001 Phone & Fax : 0571 2743521

Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001 E-mail : roaligarh@uppcb.in

9. निरीक्षण के समय सन्दर्भित ईंट भट्ठा बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाये जाने के दृष्टिगत जिला स्तरीय समिति (नायब तहसीलदार, अतरौली, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग एवं इस कार्यालय) द्वारा दिनांक 01.05.2024 को पानी डलवाकर ईंट भट्ठे का संचालन कार्य बन्द कराया गया तथा निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि भविष्य में ईंट भट्ठे का संचालन बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये न किया जाये।

10. ईंट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 22.03.2024 से दिनांक 01.05.2024 तक कुल 41 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x500x.5x1.0=12,500/- प्रतिदिन की दर से 41 दिवस हेतु कुल रू0 12,500x41=5,12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को की गयी है (संलग्नक–3)।

11. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे को जिला प्रशासन के सहयोग से बन्द कराये जाने के उपरान्त भी निरीक्षण दिनांक पूर्व में दिनांक 06.05.2024 को संचालित पाया गया है। ईंट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 02.05.2024 से दिनांक 06.05.2024 तक कुल 05 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार (EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0=6,250/- प्रतिदिन की दर से) तीसरी पुनरावृत्ति के दृष्टिगत 6,250/– का चार गुणा अर्थात रू0 25,000/दिन की दर से कुल 05 दिवस हेतु कुल रू0 25,000x5=1,25,000/- एवं पूर्व में (7,37,500 + 1,06,250 + 5,12,500) पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति को समयोजित करते हुए कुल रू0 14,81,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति कार्यालय के पत्र संख्या–309 दिनांक 07.05.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी (संलग्नक–4)।

12. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच10388 दिनांक 07.05.2024 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है (संलग्नक–5)।

उपरोक्त को संज्ञानित करने से स्पष्ट है कि उक्त ईंट भट्ठे ईंट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 07.05.2024 से दिनांक 10.05.2024 तक 04 दिन को डिफाल्टर मानते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0=6,250/- प्रतिदिन की दर से चौथी पुनरावृत्ति के दृष्टिगत रू0 6,250/– का आठ गुण अर्थात रू0 50,000/दिन की दर से कुल 04 दिवस हेतु कुल रू0 50,000x4=2,00,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है। अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय के पत्र संख्या–309 दिनांक 07.05.2024 के माध्यम से रू0 14,81,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति के साथ–साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया है, जो बोर्ड मुख्यालय स्तर पर लम्बित है। उपरोक्त को संज्ञानित करते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ पुनः अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

13-5-24 13.5.24 13/05/24

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)	(जितेन्द्र कुमार)	(उपेन्द्र प्रसाद)	(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
प्रयोगशाला सहायक	अनुश्रवण सहायक	सहा0पर्या0 अभियन्ता	सहा0वैज्ञा0अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

13/5/24

ENT BHATTA REPORT

जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ दिये गये निर्देशों के अनुक्रम मै0 श्री राम ईंट उद्योग (पूर्वनाम–सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के सम्बन्ध में अद्यतन निरीक्षण आख्याः–

उपरोंक्त विषयक सन्दर्भित ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 10.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र श्री बच्चन सिंह एवं श्री मोहकम सिंह उपस्थित थे, जिन्हे राज्य बोर्ड की सहमति के बिना भट्ठा संचालन नहीं करने हेतु मौखिक रूप से निर्देशित किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत हैः–

1. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा जिग–जैग/हाई ड्रापट पद्धति पर स्थापित एवं संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है–

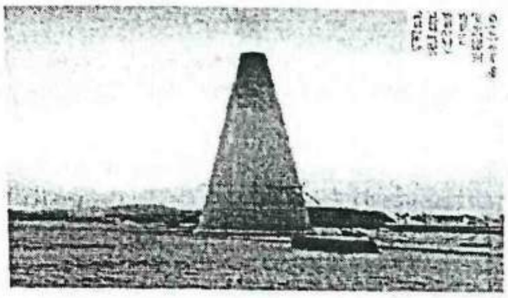

2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग–20,000 ईंट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
3. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में तूरी का प्रयोग लगभग 3.0 मी.टन/दिन किया जाता है। निरीक्षण के समय चिमनी से उत्सर्जित फ्लू गैसों के निस्तारण हेतु लगभग–30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित पायी गयी।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी पर प्लेटफार्म एवं पोर्टहॉल बोर्ड मानकों के अनुरुप स्थापित नहीं पाये गये।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे को कार्यालय के पत्र संख्या–193199 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से सहमति जल/वायु निर्गत की गयी। कार्यालय के पत्र संख्या–1773 दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को स्थापित ईंट भट्ठे के सही पते, स्थल व गाटा संख्या का साक्ष्य एवं पूर्व नाम मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 आदि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु पत्र प्रेषित किया गया। प्रेषित पत्र के सन्दर्भ में ईंट भट्ठे द्वारा अपना स्पष्टीकरण कार्यालय में प्रेषित न करने के कारण कार्यालय के पत्र संख्या–1909 दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को जारी सहमति जल/वायु को रिवोक कर लिया गया है।
6. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे के विरूद्ध पूर्व में कार्यालय के पत्र संख्या–711 दिनांक 04.06.2022 के माध्यम से रू0 7,37,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी (संलग्नक–1)।
7. ईंट भट्ठे का पूर्व में निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.03.2024 (संलग्नक–2) को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठा बिना बोर्ड से वैध सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाया गया। तत्क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या–2882 दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से ईंट भट्ठे के विरूद्ध रू0 1,06,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को की गयी थी, जो बोर्ड मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है।
8. निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, द्वारा ओ0ए0 संख्या–253/2021 झम्मन लाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 का उल्लंघन करते हुए ईंट भट्ठे का संचालन बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये किया जा रहा है।

<u>ईट भट्टा मै0 श्री राम ईंट उद्योग, पूर्व नाम सुकेशकुमार बी० के०ओ० (अडियाबाडईंट) ग्राम- हौंसवाँ, अतरौली अली० को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में आख्या:-</u>

उक्त ईट भट्टा मै0 श्री राम ईंट उद्योग ग्राम- हौंसवाँ, रामपुर भरियल, सिरसाई अतरौली का निरीक्षण उपस्थिति प्रतिनिधि श्री राय सिंह की उपस्थिति में समिति द्वारा दिनांक 15-5-2024 को किया गया। ईट भट्टा ~~नैचुरल पद्धति~~/जिग-जैग तकनीकी पद्धति पर संचालित पाया गया। उक्त ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- H1038 दिनांक 07-5-2024 के द्वारा रिवोक/बन्दी आदेश जारी किया गया है। रिवोक/बन्दी आदेश वर्तमान में प्रभावी है, जोकि वर्तमान में उक्त ईट भट्टा डिफाल्टर/वैध सहमति (जल/वायु) अप्राप्त की श्रेणी में है। उक्त ईट भट्टे को क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ से सहमति (जल/वायु) प्राप्त नही है। अतः समिति द्वारा अग्निशमन विभाग, ~~हाथरस~~ अलीगढ़ के माध्यम से ईट भट्टे में जल डलवाकर ईट भट्टा बन्द करा दिया गया। उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये ईट भट्टे का संचालन न किया जायें। ईट भट्टे का संचालन दिनांक .... से प्रारंभ किया गया है।

FM शुभम सिंह (fire Dept) अतरौली

थानाध्यक्ष ह0/अस्पष्ट PS हर्रा

(ह0 अस्पष्ट) ASO UPPCB Aligarh.

(ह0 अस्पष्ट) 15/5/24 (SDM) अतरौली

भट्टा प्रतिनिधि
(ह0) राय सिंह
15/5/2024
9411210574

:7.967095
: 78.383188
180.46±4 m
9.4 m
)5-2024 11:41
म ईंट उद्योग छोगवा अतरौली

:7.967091
: 78.383245
191.26±9 m
10.0 m
)5-2024 11:42
म ईंट उद्योग छोगवा अतरौली

Annexure - XXXI

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : H11783 / सी–4 / ईट–904 / का0ब0नो0 / 2024, दिनांक : 31-05-2024

मै0 श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0),
सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली,
जनपद–अलीगढ़।

यह कि मै0 श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ द्वारा कच्चे माल के रूप मे मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर, ईट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा संदर्भित ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 21.03.2024 को ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री मोहकम सिंह की उपस्थिति में करते हुए निरीक्षण आख्या पत्र दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई है। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईट भट्ठा हाईड्राफ्ट/जिग–जैग पद्धति पर संचालित पाया गया। ईट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल आदि मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पाया गया। ईट भट्ठे के विरूद्ध बार–बार शिकायत प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या–1773, दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया था। तद्नुसार क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र सं0–1909, दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से ईट भट्ठे को जारी सहमति को रिवोक कर लिया गया है। ईट भटठे के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में ईट भट्ठे का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 04.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय फुकाई लेबर भट्ठे पर नहीं पायी गयी, परन्तु ईट भट्ठे से उत्सर्जन होता हुआ पाया गया, जिसको मौके पर बन्द करा दिया गया था।

यह कि पूर्व में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक–711/एयू–578/22, दिनांक 04.06.2022 के माध्यम से प्रेषित आख्या में मै0 श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x500x.5x1.0= 12,500/- मात्र प्रतिदिन की दर से दिनांक 04.04.2022 से दिनांक 01.06. 2022 तक अर्थात 59 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू0 7,37,500/– मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–37 के अंतर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक–2882/एयू–578/24, दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या में मै0 श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0=6,250/- मात्र प्रतिदिन की दर से दिनांक 05.03.2024 से दिनांक 21.03. 2024 तक अर्थात 17 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू0 1,06,250/– मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अंतर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने के साथ–साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक–247/एयू–578/2024, दिनांक 01.05.2024 के माध्यम से प्रेषित निरीक्षण आख्यानुसार मै0 श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ का निरीक्षण दिनांक 01.05.2024 को जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा बिना राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाया गया। राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित किये जाने पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 01.05.2024 को पानी डलवाकर ईट भट्ठे में उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया है।

तत्क्रम में राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच10388/सी–4/ईट–904/बंदी/2024, दिनांक 07.05.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31(ए) के अन्तर्गत मै0 श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ को यथावत् बन्द रखे जाने एवं राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना किसी भी दशा में भट्ठे का संचालन न किये जाने हेतु निर्देश/आदेश जारी किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्रांक–320/एयू–578/2024, दिनांक 08.05.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार राज्य बोर्ड द्वारा जारी निर्देश/आदेश दिनांक 07.05.2024 की प्रति उद्योग प्रतिनिधि श्री बोधपाल सिंह को दिनांक 08.05.2024 को प्राप्त करा दिया गया है।

जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा ईट भट्ठा मै0 श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ का पुनः निरीक्षण दिनांक 10.05.2024 को ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री बच्चन सिंह एवं श्री मोहकम सिंह

की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–253/2021 झम्मन लाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 का उल्लंघन करते हुए ईट भट्ठे का संचालन बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये किया जा रहा है।

उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक–394/एयू–578/2024, दिनांक 13.05.2024 द्वारा प्रेषित आख्या में ईट भट्ठे द्वारा बार–बार किये जा रहे उल्लंघन दिवसों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र EC=PIxNxRxSxLF के अनुसार मै0 श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध निम्नानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की पुनः संस्तुति की गई है:–

क्र. सं0	उल्लंघन दिवस	सी0पी0सी0बी0 द्वारा जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र के अनुसार प्रतिदिन की दर (रू0)	अधिरोपित किये जाने वाले पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि (रू0)
1.	दिनांक 04.04.2022 से 01.06.2022 तक अर्थात 59 उल्लंघन दिवस	12,500/–	7,37,500.00
2.	दिनांक 05.03.2024 से 21.03.2024 तक अर्थात 17 उल्लंघन दिवस	6,250/–	1,06,250.00
3.	दिनांक 22.03.2024 से 01.05.2024 तक अर्थात 41 उल्लंघन दिवस	12,500/–	5,12,500.00
4.	दिनांक 02.05.2024 से 06.05.2024 तक अर्थात 05 उल्लंघन दिवस	तीसरी पुनरावृत्ति के दृष्टिगत 6,250/– का चार गुणा अर्थात् 25,000/–	1,25,000.00
5.	दिनांक 07.05.2024 से 10.05.2024 तक अर्थात 04 उल्लंघन दिवस	चौथी पुनरावृत्ति के दृष्टिगत 6,250/– का आठ गुणा अर्थात् 50,000/–	2,00,000.00
	कुल योग –		**16,81,250/–**

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 13.05.2024 के अनुक्रम में ईट भट्ठा मै0 श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रंण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए एवं लागू अन्य नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र के अनुसार कि ईट भट्ठा मै0 श्री राम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ के विरूद्ध बार–बार किये जा रहे उल्लंघन दिवसों हेतु उपरोक्त तालिका में वर्णित कुल धनराशि रू0 **16,81,250/–** (रूपये सोलह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त वर्णित निर्देश की पुष्टि करते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।</u>

PRADEEP SHARMA
Digitally signed by PRADEEP SHARMA
Date: 2024.05.31 20:27:58 +05'30'

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित ईट भट्ठे को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर निर्धारित समयावधि में ईंट भट्ठे की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

PRADEEP SHARMA
Digitally signed by PRADEEP SHARMA
Date: 2024.05.31 20:28:16 +05'30'

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4